BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 30th June 2016 | No. 6

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

छह देशों में प्रतिनियुक्त भारत के राजदूतों के साथ चैम्बर में संवाद

कार्यक्रम में मंचासीन (बाँयें से दायें) क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, बहरीन में भारत के महामहिम राजदूत श्री आलोक कुमार सिन्हा, युक्रेन में भारत के महामहिम राजदूत श्री मनोज कुमार भारती, कोलंबिया में भारत के महामहिम राजदूत श्री प्रभात कुमार, नामीबिया में भारत के महामहिम राजदूत श्री कुमार तुहीन, अर्जेंटीना में भारत के महामहिम राजदूत श्री संजीव रंजन एवं सेनेगल में भारत के महामहिम राजदूत श्री राजीव कुमार।

बिहार की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों के संसाधन एवं तकनीक से जोड़ उसे और समृद्ध बनाने की विदेश मंत्रालय ने पहल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर बने इस कार्यक्रम के तहत छह देशों-बहरीन, कोलंबिया, नामीबिया, यूक्रेन, अर्जेन्टीना एवं सेनेगल में प्रतिनियुक्त भारत के महामहिम राजदूतों ने बिहार का दौरा किया। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद 2 जून, 2016 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के साथ विमर्श किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने महामहिम राजदूतों के स्वागतोपरान्त अपने स्वागत् उद्बोधन में कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज हमारे बीच एक साथ विभिन्न देशों में भारत के छह-छह महामहिम राजदूत एक साथ पधारे हैं ।

महोदय, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में काफी परिवर्त्तन हुए हैं और हर क्षेत्र में बेहतरी आयी है। राज्य में निवेश हेतु मित्रवत वातावरण का सृजन हुआ है।

राज्य में विधि-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो बातें हो रही हैं वे पिछले चार -पाँच महीनों की कुछ घटनाएं हैं परन्तु राज्य सरकार पूर्णरूपेण सजग है और विधि-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कृतसंकल्पित है। अपराध के मामले में भारत के 28 राज्यों में बिहार का 22वाँ स्थान है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार एवं बिहार पुलिस की सक्रियता का ही प्रतिफल है कि गत् दिनों अपहृत नेपाल के व्यवसायी को अपहर्ताओं के चंगुल से तत्काल बरामदगी सम्भव हो सका।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने MAKE IN INDIA की कल्पना की है, हमारी इच्छा है कि हमारा बिहार भी MAKE IN INDIA में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करे।

हमारा आप सभी से अनुरोध होगा कि बदलते बिहार एवं यहाँ की संभावनाओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व कर रहे अपने-अपने देशों के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराएं। यदि आप चाहेंगे तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमण्डल भी आप के पहल पर वहाँ के उद्यमियों एवं व्यवसायियों से मिलने के लिए सदैव तैयार है।

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार में निवेश की सम्भावनाओं हेतु औद्योगिक नीति, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित संक्षिप्त रिपोर्ट पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डी०आई०पी०पी०) द्वारा जारी रैंकिंग में तदर्थ रूप से 2016 के लिए बिहार को ''इज ऑफ डुइंग बिजनेस'' के अन्तर्गत पहला स्थान प्रदान किया गया है जबकि पूर्व में राज्य 21वें स्थान पर था।

यह भी अत्यन्त हर्ष की बात है कि केन्द्र सरकार ने बिहार के लाइफ लाईन महात्मा गाँधी सेतु के जीर्णोद्धार के लिये 1742.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे उत्तर बिहार से प्रदेश मुख्यालय पटना आने-जाने का मार्ग सुगम होगा और व्यापारी वर्ग को बहुत राहत होगी। इसके लिए भी केन्द्र सरकार और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद देता हूँ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 (RTPGR) की शुरूआत की है। इस अधिनियम के तहत 60 दिनों के अन्दर शिकायतों का निपटारा कर दिया जायेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्बन्धित अधिकारियों को 500/- से 5000/- रूपये तक का जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा। आम जनता के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का यह एक नायाब तोहफा है ।

राज्य सरकार ने पटना में दो आई०टी० पार्क बनाने की पुरानी योजना में तेजी लाने का आदेश दिया है, यह भी प्रसन्नता का विषय है, इससे राज्य में सूचना प्राद्योगिकी उद्योग को आमंत्रित करना सुगम हो जाएगा।

आपका

ओ० पी० साह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संवाद कार्यक्रम में बहरीन में प्रतिनियुक्त भारत के महमहिम राजदूत श्री आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी देशों में तैनात भारत के राजदूतों से अपनी पसंद के एक राज्य को चुनने और उसके विकास के लिए लगातार सम्पर्क में रहने का कार्यक्रम बना है। हम सभी बिहार के हैं, इस कारण हमने बिहार को चुना है।

उन्होंने कहा कि बहरीन में फूड आइटम्स सबसे अधिक भारत से जाते हैं। बिहार में अगर फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडीशन कर इसे बहरीन निर्यात करने की पहल हो तो मैं इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाउंगा। उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच बेहतर रिश्ते बनाने की पहल का भी आश्वासन दिया और इच्छुक व्यवसायियों को बहरीन आमंत्रित किया।

यूक्रेन में भारत के महामहिम राजदूत श्री मनोज कुमार भारती ने कहा कि यूक्रेन ऐसा देश है जहां नागरिक उड्डयन, रेलवे तथा शिप डिजाइनिंग के अलग-अलग विश्वविद्यालय है। मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर इसी तर्ज पर बिहार में भी किसी कौशल विशेष के लिए विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने भी बिहार के व्यवसायियों को यूक्रेन आकर वहां की अर्थव्यवस्था से रूबरू होने का आमंत्रण दिया।

कोलंबिया में प्रतिनियुक्त महामहिम राजदूत श्री प्रभात कुमार ने कहा कि विदेश मंत्रालय की यह पहल अच्छी है जिसमें हम राज्यों के व्यवसाय के विकास को

बहरीन में भारत के महामहिम राजदूत श्री आलोक कुमार सिन्हा (दाँयें) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

बहरीन में भारत के महामहिम राजदूत श्री आलोक कुमार सिन्हा (दाँयें) को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन।

युक्रेन में भारत के महामहिम राजदूत श्री मनोज कुमार भारती (दाँयें) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया।

कोलंबिया में भारत के महामहिम राजदूत श्री प्रभात कुमार (दाँयें) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल।

नामीबिया में भारत के महामहिम राजदूत श्री कुमार तुहीन (दाँयें) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में महामंत्री श्री शशि मोहन।

अर्जेंटीना में भारत के महामहिम राजदूत श्री संजीव रंजन (बाँयें)को भारत सरकार द्वारा चैम्बर पर जारी डाक टिकट का एक एलबम भेंट करते महामंत्री श्री शशि मोहन।

सेनेगल में भारत के महामहिम राजदूत श्री राजीव कुमार (दाँयें) को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर के कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी।

लेकर सीधी मुलाकात कर रहे हैं। बिहार को मैं कहूंगा कि बिजनेस के क्षेत्र को एक्सपोजर देने के लिए ज्यादा काम करे जैसे गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के जरिये निवेशकों को बुलाता है।

नामीबिया में प्रतिनियुक्त महामहिम राजदूत श्री कुमार तुहीन ने कहा कि नामीबिया वैसे तो खनिज के लिए जाना जाता है, लेकिन कृषि और फूड प्रोसेसिंग की खूब मांग है। ज्यादातर जरूरत के अनाज का आयात किया जाता है। चावल दक्षिण अफ्रिका से आता है। बिहार का भी जा सकता है।

अर्जेन्टीना में प्रतिनियुक्त महामहिम राजदूत श्री संजीव रंजन ने कहा कि हम अर्जेन्टीना, पराग्वे और उरूग्वे का काम संभालते हैं, जो कृषि और कल्चर पर खूब काम करता है। बिहार की जो दो थाती है उसमें भी कृषि और कल्चर प्रमुख है। वहां 300 से ज्यादा योगा स्कूल है। बिहार को वहां आना चाहिए।

सेनेगल में प्रतिनियुक्त महामहिम राजदूत श्री राजीव कुमार ने कहा कि हम जिन चार मुल्कों का काम देखते हैं, वहाँ चावल और कपड़े खूब आयात होते हैं। सेनेगल, गॉबिया, गिनिबसाओं और काबोहयात में बिहार के चावल और कपड़े के लिए बेहतर बाजार हो सकता है। आप सभी अध्ययन करें।

कार्यक्रम में उपस्थित भारत के विभिन्न देशों में प्रतिनियुक्त महामहिम राजदूत, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित सदस्यगण।

चैम्बर की ओर से सभी महामहिम राजदूतों को चैम्बर का प्रतीक चिह्न एवं चैम्बर पर भारत सरकार द्वारा जारी डाक टिकट का एलबम भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री राम लाल खेतान, सीआईआई पटना चैप्टर के अध्यक्ष श्री एस० पी० सिन्हा, श्री के० पी० एस० केशरी सहित कई गणमान्य सदस्य तथा मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री श्री शशि मोहन ने अपने धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में अतिथियों से अनुरोध किया कि बिहार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते यहाँ पर हो रहे विकास की जानकारी बिहार से बाहर नहीं पहुँच पाती है। उन्होंने राजदूत महोदयों से अनुरोध किया कि चैम्बर के बेवसाइट को वह अपने सम्बन्धित देशों के बेवसाइट से लिंक कर दें ताकि बिहार के विकास और यहाँ की औद्योगिक नीति की जानकारी उन्हें सहजता से प्राप्त हो सके और वहाँ के निवेशक बिहार में निवेश हेतु आकर्षित हो सकें।

चैम्बर की स्थापना के 90 वर्ष के अवसर पर प्रतीक चिह्न (Logo) का अनावरण

चैम्बर की स्थापना के 90 वर्ष होने के अवसर पर प्रतीक चिह्न (Logo) का अनावरण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल (दाँयें)। चैम्बर के कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री शशि मोहन (बाँयें)।

दिनांक 03 जून, 2016 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के 90 वर्ष के अवसर पर प्रतीक चिह्न (Logo) का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। इस प्रतीक चिह्न का डिजाईन चैम्बर के महामंत्री एवं उच्च स्तरीय समिति के संयोजक श्री शशि मोहन के द्वारा किया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने जानकारी दी कि चैम्बर की स्थापना 9 सितम्बर 1926 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान एवं ऑनरेरी सेक्रेटरी श्री आर० सी० पंडित थे। चैम्बर का पहला कार्यालय बैंक ऑफ बिहार के कार्यालय भवन में खोला गया जिसका विलय अब भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हो गया है। अपने स्थापना काल से ही राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों तथा सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता आ रहा है। यह न सिर्फ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हितों की रक्षा करता है बल्कि समय-समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार को अपने बहुमुल्य सुझावों से भी अवगत कराता रहा है।

श्री साह ने कहा कि चैम्बर न सिर्फ राज्य के व्यवसायियों के कल्याण के लिए काम करता है बल्कि अपने सामाजिक कल्याण के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी तत्पर रहता है। बिहार के साथ-साथ देश के अन्य भागों में आए प्राकृतिक आपदाओं में भी यथासंभव सहयोग करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक कल्याण के कार्यों के तहत ही चैम्बर ने अपने प्रांगण में ही वर्ष 2014 से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र खोला है जिसमें सिलाई-कटाई, कढ़ाई, मेंहदी एवं कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चैम्बर ने अपने स्थापना काल से सफलतापूर्वक राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों की सेवा करते हुए वर्ष 1951 में सिलवर जुबली मनाया जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने किया। वर्ष 1976 में गोल्डन जुबली मनाया गया जिसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के० बी० एन० सिंह ने किया। 1986 में डायमंड जुबली मनाया गया जिसका उद्घाटन तत्कालीन उप राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमण ने किया एवं वर्ष 2002 में प्लैटीनम जुबली मनाया गया जिसका समापन वर्ष 2003 में भारत रत्न तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के कर कमलों से हुआ। इसकी सेवाओं को Recognition करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में चैम्बर पर डाक टिकट भी जारी किया है।

उन्होंने जानकारी दी कि चैम्बर के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर छ: दिन का कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख विषयों पर संगोष्ठि, कार्यशाला, सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चैम्बर प्रांगण के साथ-साथ चैम्बर प्रांगण के बाहर भी आयोजित किया जाएगा। उक्त अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर सामाजिक गतिविधियाँ यथा-रक्तदान, स्वच्छता इत्यादि का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

उक्त अवसर पर चैम्बर के इतिहास एवं उपलब्धियों पर एक पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन भी दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी, महामंत्री एवं उच्च स्तरीय समिति के संयोजक श्री शशि मोहन सहित समिति के सदस्यगण एवं मीडियाबंधु उपस्थित थे।

अच्छी छवि बनायें लघु व मध्यम उद्योग

साफ छवि वाले एमएसई को सरकार पूरी वित्तीय सहायता देने को तैयार : प्रधान सचिव

लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसई) को पारदर्शी तरीके से काम कर अपनी छवि साफ रखनी होगी। तभी वे एमएसएमई के लिए बने विशेष स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो पायेंगे। अच्छे छवि वाले एमएसई को राज्य सरकार पूरी वित्तीय सहायता देने को तैयार है। यह बात उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ ने एक होटल में **'एसएमई फडिंग : रोल ऑफ कैपिटल मार्केट पर आयोजित सेमिनार'** में कहीं। इसका आयोजन उद्योग विभाग ने किया था।

प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए इक्विटी, बैंक लोन व कैपिटल मार्केट से धन की जरूरत पड़ती है। कैपिटल मार्केट से धन लेने के लिए उद्योगों का बेहतर प्रबंधन होना जरूरी है। उसके पास अच्छी योजना भी होनी चाहिए और धन लगाने वाले में विश्वास पैदा करना होगा कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। उसका पैसा सुरक्षित है। यह सब आज के व्यवसाय व एमएसई के विकास के लिए जरूरी है।

सेमिनार को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। मंच पर आसीन (दाँयें से) एनएसई के निदेशक श्री रवि वाराणसी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम० के० वर्मा एवं अन्य।

उन्होंने कहा कि राज्य में 90 फीसद व्यवसाय एसएमई क्षेत्र से हैं। उनके ही विकास से राज्य का आर्थिक विकास होगा। बिहार चैम्बर आफॅ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन दोनों मिलकर पाँच एसएसएमई का नाम बतायें जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित किया जा सके। सरकार उनकी आर्थिक मदद के लिए तैयार है और उस क्षेत्र के विकास की कई योजनायें भी हैं। आप पारदर्शी तरीके से काम करते हैं व बेहतर छवि है तो आप कैपिटल मार्केट से धन ले सकते हैं।

एनएसई के निदेशक रवि वाराणसी ने कहा कि एमएसई कई उत्पाद बनाते हैं और उनका राज्य की आर्थिक वृद्धि में काफी योगदान रहता है। चीन व जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी एमएसई पर निर्भर है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एवं कैपिटल मार्केट से पैसा लेने के लिए वर्ष 2012 में उनके लिए विशेष स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। उसमें सूचीबद्धता के लिए नियम आसान हैं। वे 24 शेयर होल्डरों से ही स्टॉक एक्सचेज में सूचीबद्ध हो सकते हैं। उद्योग लगाने वाले अपने मन से यह डर निकाल दें कि कैपिटल मार्केट में जाने के बाद उनका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। किसी भी उद्योग में मालिक का 75 फीसद शेयर रहता है और 25 फीसद शेयर ही बाहरी को दिया जाता है। जिस तरह दूसरे राज्यों के एमएसई के लिए योजनायें लायी गयी हैं उसी तरह बिहार के उद्योगों के लिए भी योजना बनाने का काम चल रहा है।

चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि बैंक एसएमई को कर्ज देने में नकारात्मक रुख अपनाते हैं। बैंक सरकार के निर्देश के बावजूद कर्ज नहीं देते जबकि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए काफी धन की जरूरत पड़ती है। बीआईए के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने कहा कि बैंक एसएमई क्षेत्र को कर्ज देने में दो महीने में निर्णय ले, जिसके नहीं मिलने पर वे दूसरी बैंक की तरफ भी जा सकें। उन्हें कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाये। सेमिनार को उद्योग विभाग के निदेशक रविन्द्र प्रसाद व आरपी वैश्य ने भी संबोधित किया।

जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता योजनाओं का लाभ : वर्मा

• भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एम. के. वर्मा ने बताया एमएसई को बैक क्यों नहीं देते कर्ज • सभी बैंकों को दिया निर्देश, एमएसएमई को कर्ज देने पर जल्द करें निर्णय

सेमिनार के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एमके वर्मा ने कहा कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का रोल अहम है। लेकिन बैंक द्वारा कर्ज नहीं दिये जाने का कारण उनके पास ज्यादा सम्पत्ति का नहीं होना, पूंजी नहीं होना व स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं होना है। इसके अलावा लघु उद्योगों के पास बैंलेस शीट, लाभ व हानि का लेखा-जोखा व ट्रेडिंग एकाउंट नहीं रहता है। उन्हें धन तब ही मिल सकता है जब वे इक्विटी फंडिग में जायें। सबकुछ साफ सुथरा रहने पर वे कैपिटल मार्केट से धन ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं होने के कारण भी वे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। सौ करोड़ रुपये निवेश करने पर स्मॉल फायनांसियल बैंक का लाइसेंस लिया जा सकता है। कई राज्यों में यह शुरू किया गया है और बिहार में भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एमएसएमई को कर्ज देने पर जल्द निर्णय करें।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 11.6.2016)

''इज ऑफ डूईंग बिजनेस'' में बिहार को नम्बर-1 प्रदेश का दर्जा दिये जाने पर चैम्बर द्वारा हर्ष व्यक्त

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा जारी रैकिंग में व्यापार सुगमता प्रदान करने हेतु ''इज ऑफ डुइंग बिजनेस'' के अन्तगर्त राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के आधार पर बिहार को नम्बर-1 प्रदेश का दर्जा दिये जाने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के उद्योग एवं व्यापार को समुचित बढ़ावा देने के प्रयासों का ही यह सुखद परिणाम है कि बिहार राज्य को औद्योगिक एवं व्यावासियक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी दुर्लभ उपलब्धि की प्राप्ति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास का ही यह प्रतिफल है कि बिहार जो कि कभी ''बिमारू'' राज्यों की श्रेणी में आता था इससे बाहर निकला, राज्य में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन हुआ तथा अब यह राज्य उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कामयाबी के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य की स्थिति में ऐसे सकारात्मक एवं त्वरित विकास एवं बदलाव में माननीय मुख्यमंत्री की युवा एवं समर्पित टीम जिसमें बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी कुमार यादव, उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह के साथ-साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डा० एस० सिद्धार्थ शामिल हैं, का विशेष योगदान रहा है जो कि अत्यंत प्रशंसनीय है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्यमी पंचायतों का आयोजन जिसमें सरकार के सभी मंत्री तथा शीर्ष अधिकारीगण भाग लेते हैं, का भी राज्य में व्यापार की सुगमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभाग स्तर पर उद्यमी अदालत का समय-समय पर आयोजन किया जाना साथ ही उद्यमियों की सहायता हेतु उद्यमी संवाद की सुविधा प्रदान किया जाना भी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के प्रमुख कारकों में से हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार ने उद्योग एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेको महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जैसे कर-प्रणालियों की ऑन लाईन निबंधन, नवीनीकरण आदि की सुविधा, प्रदुषण नियंत्रण से संबंधित अनुज्ञप्ति आदि ऑन लाईन जारी किये जाने की व्यवस्था, श्रम कानूनों के तहत् निबंधन एवं अनुज्ञप्ति का ऑन लाईन जारी किया जाना, सर्वोच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच किया जाना, व्यवसाय संबंधित भूखण्डों के निबंधन की प्रक्रिया का सरलीकरण, व्यवसाय हेतु बिजली कनेक्शन की प्राप्ति को सुगम बनाना, अन्य राज्यों के साथ व्यापार को सुगम

बनाना आदि। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 जो आज भी देश की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति के रूप में जानी जाती है, इसका भी बिहार में व्यापार में सुगमता लाने में बहुत बड़ा योगदान है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डी०आई०पी०पी०) द्वारा ''इज ऑफ डुइंग बिजनेस'' जारी रैंकिंग में रियल टाईम बेसिस पर बदलाव संभव है, परन्तु 21वें पायदान से प्रथम पायदान पर पहुँचने की बिहार की छलांग अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य की आगामी औद्योगिक नीति तथा माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के उद्योग एवं व्यवसाय हेतु ''एकल खिड़की प्रणाली'' (सिंगल विंडो सिस्टम) के समुचित सशक्तिकरण एवं इसके पूर्ण क्रियान्वयन के दृढ़ संकल्प के आलोक में ऐसी आशा की जाती है कि बिहार ''इज ऑफ डुइंग बिजनेस'' में अपनी वर्तमान की प्रथम रैंकिंग को बरकरार रखने में कामयाब रहेगा।

आयकर की धारा 114E के प्रावधानों से होने वाली कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन पर चैम्बर में विचार-विमर्श

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 7 जून, 2016 को राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की एक आपात बैठक हुई जिसमें आयकर की धारा के नए प्रावधान 114E में आने वाली कठिनाईयों एवं इसके कार्यान्वयन पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि दिनांक 1 जून, 2016 से आयकर की धारा 114ई में आये बदलाव के कारण अब सभी वैसे व्यवसायियों को जो एक वित्तीय वर्ष में किसी एक व्यवसायी को दो लाख से अधिक की बिक्री के बदले में नकद भुगतान प्राप्त करेंगे तो वैसी हालत में उन्हें वार्षिक सूचना विवरणी के द्वारा आयकर विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही उन्हें डॉक्यूमेंटेशन कार्य भी अधिक करना होगा। यदि बिक्री की राशि दो लाख या अधिक है और बिक्रेता द्वारा इसका भुगतान का कोई हिस्सा नकद लिया गया है तो संपूर्ण राशि पर धारा 206सी के तहत 1% टीसीएस लेना होगा। जिसे आयकर विभाग में तय समय में प्रेषित करते हुए विवरणी भी दाखिल करनी होगी।

उन्होंने आगे कहा कि बैठक को कार्यशाला में परिणत कर दिया गया जिसमें सभी उपस्थित व्यवसायियों को उक्त प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। व्यवसायियों को कार्यशाला में जानकारी देने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसियेशन पटना शाखा के चेयरमैन श्री राजेश कुमार खेतान, श्री अरूण गरोदिया एवं श्री राकेश सांगानेरिया उपस्थित थे। उक्त अवसर पर चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन, ट्रेड सब कमिटी के संयोजक श्री बी० एन० झुनझुनवाला आदि उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री साह ने माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से उक्त दो लाख की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही साथ इस कानून के व्यापक प्रचार -प्रसार विभिन्न संचार माधयम से कराने का अनुरोध किया है, जिससे कि इस नये कानून से अधिकाधिक व्यवसायी अवगत हो सकें एवं इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

चैम्बर का रेलवे के रॉल ऑन रॉल ऑफ सेवा की दरों में कोई वृद्धि न करके इसके फेरों को बढाने का सुझाव

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने गत् दिनों बिहटा से तुर्की के बीच प्रारंभ किए गए रेलवे की रॉल ऑन रॉल ऑफ सेवा की दरों में की गई वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, रेलवे को अतिरिक्त आय के लिए इसके फेरों को बढ़ाने का सुझाव दिया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि रेलवे द्वारा प्रारंभ किये गए रॉल ऑन रॉल ऑफ सेवा के अन्तर्गत माल ढुलाई के लिए पूर्व में जो दर निर्धारित किया गया है 15 टन के लिए 4000/- रूपया वह पहले ही काफी अधिक है। उसके बाद भी बीजी सीजन एवं डेवलपमेंट के नाम पर पिछले दिनों की गई 20% की वृद्धि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा तथा इसका प्रतिकूल प्रभाव वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा तथा यह इस लोकोपयोगी सेवा को हतोत्साहित करेगा।

श्री साह ने कहा कि रेलवे को इसके दरों में वृद्धि करने के बदले इसके दर को कम करना चाहिए तथा इसके फेरों में वृद्धि करना चाहिए जिससे कि ज्यादा -से-ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें और इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा, साथ ही साथ गाँधी सेतु पर वाहनों के जाम में कमी आएगी।

चैम्बर अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया है कि इसकी वर्त्तमान दरों को बढ़ाया न जाए बल्कि इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए इसके दरों को कम करते हुए इसके फेरों में वृद्धि की मांग की है।

समाज के दर्पण की तरह हैं अखबार

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह सवाल इन दिनों विभिन्न मंचों से उठाया जा रहा है कि क्या आज भी प्रिंट मीडिया की लोकप्रियता बरकरार है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बीच प्रिंट मीडिया भविष्य में अपना अस्तित्व बचा पाएगा? इस संबंध में प्रस्तुत है चैम्बर अध्यक्ष के विचार–

इतिहास की धरोहर है अखबार

भविष्य के इतिहास की धरोहर है अखबार। बिहार चैम्बर में 1958 से अखबारों की अलग लाइब्रेरी है। छुट्टी के अगले दिन जब सुबह अखबार नहीं आता है तो पूरा दिन वैक्यूम लगता है। अखबार सिर्फ अखबार नहीं दस्तावेज है। – **ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : दैनिक भास्कर, 15.6.2016)

हुनर के वास्ते अलग नीति बनाएगा बिहार

• बिहार में हुनर का आकलन कौशल विकास मिशन करेगा • कौशल विकास में निजी कंपनियों की मदद भी लेगी बिहार सरकार • पूरे राज्य के लिए नियुक्त होगा एक ही नॉलेज पार्टनर

बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर कौशल विकास का काम करने के लिए अलग से एक नीति बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब बिहार में हुनर का आकलन भी बिहार कौशल विकास मिशन ही करेगा।

श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'हम बीते कई बरसों से बिहार में कौशल विकास की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी सिफर ही रहा है। बिहार में अब भी तीन फीसदी से भी कम कार्यरत आबादी के पास हुनर है, इसलिए अब हमने एक नीति के तहत काम करने का फैसला लिया है। इस पर अभी काम चल रहा है, आने दिनों में अब कौशल विकास का सारा काम इसी नीति के तहत होगा। इसी नीति के मुताबिक सभी विभाग कौशल विकास की अपनी योजनाएं बनाएंगे। इस एकीकृत कोशिश से हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में हम राज्य की कम से कम 50 फीसदी कार्यरत आबादी को हुनरमंद बना सकेंगे।' सूत्रों के मुताबिक इस नीति का मसौदा मॉनसून सत्र तक तैयार हो जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.6.2016)**

एसएमई की मदद के लिए बनेगा खास इक्विटी फंड

बिहार सरकार राज्य के छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) की मदद के लिए एक खास इक्विटी फंड शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत राज्य सरकार नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एसएमई प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध होने वाली बिहार की कंपनियों में निवेश कर सकती है। इस बारे में सरकार और एनएसई के बीच शुरूआती दौर की बातचीत चल रही है।

इस बारे में एनएसई के ग्रुप हेड (इक्विटीज़) रवि वाराणसी ने बताया, 'दरअसल, छोटी और मझोली कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए हमने और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने देश में एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरूआत की है। हमारी इस कवायद में हमें राज्य सरकारों की मदद भी मिल रही है। मसलन, महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर इस प्लेटफॉर्म के लिए एक इक्विटी फंड शुरू किया है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस बारे में हामी

भर दी है। बिहार में ऐसे फंड के बारे में हमारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ शुरुआती दौर की बातबीच हुई है। राज्य सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत भी हमें मिले हैं। इस फंड से राज्य की छोटी कंपनियों को बहुत फायदा होगा। साथ ही, सेबी के नियमों की वजह से कंपनियों को सभी प्रकार के खुलासे करने होंगे, जिससे राज्य सरकार के लिए निवेश में कोई दिक्कत नहीं होगी।' राज्य सरकार ने इस बारे में अब तक सकारात्मक रुख दिखाया है। उद्योग विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस बारे महाराष्ट्र की इक्विटी फंड नीति का अध्ययन कराया जाएगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.6.16)**

बड़े औद्योगिक समूहों को मानव संसाधन मुहैया कराएगा बिहार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला, बिहार में बनेगी कौशल विकास नीति

देश के तमाम बड़े औद्योगिक समूहों में बिहार से स्किल्ड मानव संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार स्किल (कौशल) नीति बनाएगी। नई नीति तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार कौशल विकास मिशन को सौंपी गई है। नीति तैयार होने के बाद कौशल प्रशिक्षण से जुडे सभी विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की 5 वीं बैठक में यह फैसला किया गया। इसी दौरान नीतीश निश्चय के तहत राज्य के युवाओं के लिए चलाए जाने वाले संवाद कौशल और कम्प्यूटर के मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम कुशल युवा रखे जाने पर भी सहमति बन गई। भिक्षाटन यानी भीख मांगने वालें का भी कौशल विकास होगा।

बैठक के बाद श्रम संसाधन सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद और कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य में आकलन और प्रमाणन एजेंसी के रूप में काम करते हुए मिशन यह व्यवस्था भी करेगा कि देश के नामचीन उद्योग घराने बिहार के युवाओं का चयन करें और उन्हें प्रशिक्षित करते हुए अपने संस्थान में रोजगार मुहैया कराएँ। राज्य के दिव्यांगों के भी कौशल विकास के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। बैठक में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी, उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री रामविचार राय और विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा के साथ संबंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ. पी. साह मौजूद थे।

विकास आयुक्त होंगे शासी पर्षद के अध्यक्ष : मिशन के शासी पर्षद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री की बजाए विकास आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री को बिहार विकास मिशन के शासी पर्षद का अध्यक्ष बनाए जाने की वजह से यह बदलाव किया गया है। कौशल उन्नयन से सम्बद्ध सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों के रूप में 5 नामित प्रतिनिधियों को मिशन का सदस्य बनाया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव / सचिव पर्षद के सदस्य सचिव होंगे। कौशल विकास मिशन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अब विकास आयुक्त की बजाए श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव / सचिव होंगे। कौशल प्रशिक्षण से संवंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों में से 5 नामित प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 4.6.2016)

समय से न मिले सेवा, करें शिकायत, होगा समाधान

लोक शिकायत निवारण अधिनियम की सीएम ने की शुरूआत

राज्य में 5 जून 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो गया। पटना के एस. के. मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। सीएम ने कहा कि अब शिकायतों की सुनवाई ही नहीं, समाधान होगा, यह अब लोगों का अधिकार बन गया है। जिन शिकायतों का समाधान नहीं होगा। उससे संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वह अपील में जायेगा। सीएम ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही किसी की शिकायात को कोई टाल नहीं सकता है। अब तक डीएम से लेकर ऊपर तक सुनवाई होती थी। उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गारंटी नहीं थी। अब शिकायत पर कार्रवाई की गारंटी होगी। अब उन्हें शिकायतों पर लिखित देना होगा कि किस वजह से शिकायत को अस्वीकार किया जा रहा है।

क्या है आरटीपीजीआर : • लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली (आरटीपीजीआर), 2016 आम लोगों को प्रशासन से सीधे जोड़ने या जन केंद्रित प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने की पहल है • इसके अंतर्गत आम लोगों को निर्धारित समय सीमा में जन सुविधा, जन सरोकार या किसी सेवा के नहीं मिलने या समय पर नहीं मिलने से संबंधित शिकायत कर सकते हैं • आम लोगों की शिकायत के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर शिकायतों का निष्पादन करने का इसमें प्रावधान है।

ऐसे उठाएँ लाभ : • इस अधिनियम के तहत जिन्हें शिकायत करनी है, वे अनुमंडल या जिला कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं • सादे कागज पर भी अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इ-मेल, आधार कार्ड संख्या और शिकायत का प्रकार लिखकर जमा कर सकते हैं • इसका फॉर्म वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट है, http://lokshikayat.bihar.gov.in • यह शिकायत डाक के जरिये या ऑनलाइन भी कर सकते हैं • शिकायत दायर करने पर आवेदक को एक नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर इसकी अपडेट स्थिति की जानकारी मिलेगी।

यहाँ करें शिकायत : • शिकायत या परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में मौजूद काउंटर या एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द पर दर्ज कराया जा सकता है।

इनकी शिकायत नहीं कर सकते : • किसी सेवारत या सेवानिवृत लोक सेवक से संबंधित मामले, जिसमें किसी न्यायालय में मामला चल रहा हो या फैसला आया हो • सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के मामले • आरटीपीएस की शिकायत नहीं कर सकते, हालांकि इसके फेल होने पर शिकायत कर सके हैं • सरकारी नौकरी, सेवानिवृत से संबंधित किसी तरह की शिकायत नहीं की जा सकती है। **(साभार : प्रभात खबर, 06.06.2016)**

मुख्यमंत्री ने मांगे 6395.19 करोड़

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर बीआरजीएफ (बैकवार्ड रीजन ग्रांट फंड) योजना के तहत बिहार के हिस्से के शेष 6395.19 करोड़ रुपये की मांग की है। यह राशि बिहार के लिए स्वीकृत 12 हजार करोड़ में से शेष है। केन्द्र सरकार ने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है।

केन्द्र पर बिहार के बाकी पैसे को मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में ही जारी करने का आग्रह किया है। इसके लिए नीतीश ने तर्क दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का यह अतिम वर्ष है। किसी तरह का विलंब होने से सूबे के विकास में बाधा पहुँचेगी। साथ ही योजनाओं की लागत भी बढ़ जाने की संभावना है। वित्तमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने बीआरजीएफ योजना का विस्तृत ब्योरा दिया है। सीएम ने कहा है कि 12वीं पंचर्षीय योजना (2012-17) में पुरानी और वर्तमान में जारी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष योजना के तहत बिहार के लिए केन्द्र ने 12000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। इसमें से 10,500 करोड़ रुपये नई परियोजनाओं के लिए था तथा शेष 1500 करोड़ रुपये पुरानी योजनाओं के लिए दिए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तमंत्री को लिखी चिट्ठी बीआरजीएफ की बची राशि शीघ्र जारी करने की मांग

• बिहार के लिए कुल 12 हजार करोड़ की योजनाएं हैं केन्द्र से स्वीकृत • चालू वित्तीय वर्ष में ही भुगतान के लिए बढ़ाया केन्द्र पर दबाव

1. 10वीं व 11वीं पंचर्षीय योजना के तहत लबित कार्यों के लिए जारी 1005.66 करोड़ रुपये में से 818.96 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

2. नीति आयोग को 719.29 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों से भी 389.31 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

3. 2015-16 में नई और पुरानी योजनाओं के लिए 5365.44 करोड़ रुपये की मांग नीति आयोग से की थी, लेकिन मिला मात्र 1887.53 करोड़ रुपये।

4. इसे भी केन्द्र ने साल के अंत में जारी किया। 8 फरवरी 2016 को 1766.53 करोड़ रुपये तथा 31 मार्च 2016 को 121 करोड़ रुपये मिले।

नीति आयोग के पास योजनाएं लंबित : योजना आयोग ने बिहार के लिए 9597.92 करोड़ की नौ योजनाएँ स्वीकृत की थीं। नीति आयोग के समझ 902.08 करोड़ की योजनाएँ स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं, जो लंबित है।

केन्द्र पर बिहार का शेष : • नए प्रोजेक्ट : 4998.77 करोड़ • जारी योजनाओं के लिए : 494.34 करोड़ • नीति आयोग के पास लंबित : 902.08 करोड़ • कुल बकाया : 6395.19 करोड़ **(साभार : दैनिक जागरण, 2.6.2016)**

नीति आयोग की एक समिति ने अपनी सिफारिश में कहा...

बीमार कंपनी न बेचे जमीन

नीति आयोग की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने कहा है कि घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के पुनरुद्धार की किसी भी योजना में इन कंपनियों की जमीन और दूसरी पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचने की बात शामिल नहीं होनी चाहिए। समिति का कहना है कि ऐसी किसी भी योजना में वित्तीय पुनर्गठन पहला विकल्प होना चाहिए। सरकार ने आयोग से ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करने को कहा था जिनमें वह अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है और जिनमें कंपनी की खस्ता हालत के चलते हिस्सेदारी बेची नहीं जा सकती। आयोग साथ ही बीमार सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और पुनरुद्धार के लिए भी नीति बना रहा है। जमीन और पूंजीगत परिसंपत्तियों को नहीं बेचने की सिफारिश भी इन्हीं सिफारिशों का हिस्सा है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने 65 ऐसे सरकारी कंपनियों की पहचान की थी जो घाटे में चल रहे हैं। पिछले साल सार्वजनिक की गई इस सूची में एयर इंडिया, भारतीय उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, एचएमटी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल और आईटीआई शामिल है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इनमें से 26 ऐसे उपक्रमों की पहचान की है जिन्हें कोई परिसंपत्ति बेचे बिना फिर से खड़ा किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि समिति ने इनमें से किन कंपनियों की सिफारिश की है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.6.2016)**

बिहार आए बगैर जान सकेंगे कहाँ लगा सकते हैं उद्योग

बिहार में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए निवेश के पहले बिहार आना जरूरी नहीं होगा। राज्य से बाहर रेहने वाले निवेशकों और उद्यमियों के लिए सरकार बड़ी राहत लेकर आने वाली है। सरकार ने तय किया है कि निवेश के क्षेत्र और उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ अब ऑनलाइन होंगी। पीएमओ के अपर सचिव की सलाह के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। सचिवालय के मुताबिक हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के अपर सचिव अरुण गोयल ने अधिकारियों के साथ कई मसलों पर बैठक की।

इस दौरान बिहार में निवेश की संभावनाओं का मामला भी उठा। इस सिलसिले में उनका निर्देश हुआ कि बाहर के निवेशकों के लिए तमाम जानकारियां ऑनलाइन होनी चाहिए। अपर सचिव ने राज्य सरकार से कहा कि वह तमाम नियम कायदे और कानून राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले साथ ही केन्द्र सरकार के यूआरलिंक से भी इसे जोड़ दें। **(दैनिक जागरण, 14.6.2016)**

BIADA PUSH FOR BIZ PLOTS

The Bihar Industrial Area Development Authority (Biada) has decided to urge the government to formulate a permanent exit policy for industrialists to return unused land.

Chief Minister Nitish Kumar presided over the Udyami Panchayat where industry bodies suggested that the state government should bring changes to the exit policy every two years. Sources in Biada, the authority that provides land to investors, however, told a permanent policy was a better idea.

"The authority will write to the state government urging them to implement a permanent exit policy, " a Biada official told The Telegraph. "The policy should be drafted in such a manner that industrialists have a fair chance to return unused land against a few benefits. We are positive that the industries department will consider our demand and implement it. At present, Biada has very little land at its disposal with several investors waiting in queue. A permanent solution to the problem is necessary."

The last time the state floated such an idea was in 2013 for a period of six months (May to October). It was stated that industrialists who were interested to return unused land would be paid according to the current land rate. However, the plan failed.

The principal secretary of the industries department, S. Siddhartha, said they are working on a similar scheme. At present, Biada only has 182 acres of land available at its disposal. More than 500 industrialists, who where provided land by Biada, are yet to start work on their projects. Biada leases out land to industrialists for a period of 90 years. A permanent policy is always better. The state government can provide industrialists with different sops to make the policy attractive so that they approach Biada to hand over unused land," the Biada official pointed out. "In the Udyami Panchayat on Monday, suggestions were made to the state government to allow Biada to buy back unused land at 15 per cent less than the original circle rate and sell it to another industrialist at the original circle rate. Thus, with the same plece of land being sold twice to two industrialists, Biada will reap huge profits."

The authority has recently started to serve notices to industrialists who are sitting on Biada plots without using them. More than 50 industrialists have been served with notices to vacate the plots or face legal action.

"The problem is that once a notice is served, the party moves the court and a long legal battle begins. The authority wants to avoid this by introducing a permanent exit policy to lure industrialists to hand over plot," the official told The Telegraph.

(The Telegraph 5.6.2016)

महिला उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन

उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्योग मित्र में महिलाओं का एक विशेष सेल बनाया जाएगा, जिसमें महिला विकास निगम और महिला कर्मचारियों की मदद से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना होगी। यह प्रस्ताव उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जेंडर ओरिएंटेशन कार्यक्रम में साझा किया। कार्यक्रम का आयोजन महिला विकास निगम और जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जेंडर संवेदीकरण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जानकारी देने के लिए किया गया।

महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक और पशुपालन विभाग की सचिव डॉ. एन विजयालक्ष्मी ने कहा कि कार्यस्थल पर कई बार लोगों को मालूम ही नहीं कि किस तरह से देखना और कैसा व्यवहार यौन उत्पीड़न के तहत आता है। जागरूकता के साथ जेंडर संवेदीकरण ही कार्यशाला का मकसद है। ऐसी कार्यशाला बिहार सरकार के हर विभाग में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कार्यस्थल पर महिला शौचालय और क्रेश की कमी की तरफ़ इशारा करते हुए कहा कि अभी भी महिलाओं को समाज में समानता के लिए पुरुषों के मुकाबले तीन गुना संघर्ष करना पड़ता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 18.6.2016)**

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को मिले 10 साल की टैक्स छूट

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के आयात पर भारी भरकम खर्च को देखते हुए नीति आयोग ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज देने की वकालत की है। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक अरब डॉलर निवेश करने वाली और 20 हजार नौकरियां देने वाली कंपनियों को दस साल तक टैक्स में छूट देने का सुझाव दिया है।

माना जा रहा है कि सरकार अगर आयोग के सुझावों पर अमल करती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए न सिर्फ आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि भारत इस क्षेत्र में चीन को भी टक्कर दे सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मुख्यत: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट उपकरण तथा सामरिक महत्व के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आते हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशी निवेश भी बहुत कम आया है। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया ने प्रोत्साहन पैकेज देने का सुझाव दिया है। **(दैनिक जागरण, 4.6.2016)**

कराएँ डाटा बैंक में उद्योगों का निबंधन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित कार्यालय में आप अब भी अपनी लघु इकाइयों को डाटा बैंक से जोड़ सकते हैं। यह योजना जारी रहेगी। हालांकि इसके लिए उद्योग आधार होना जरूरी है।

120 यूनिटों का हुआ निबंधन : हाल ही में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक इस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिलों को 120 यूनिटें डाटा बैंक से जुड़ गई हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विभाग के सहायक निदेशक संजीव आजाद ने बताया कि इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है।

क्या होगा फायदा : नियमानुसार सभी सरकारी कार्यालयों को अपनी कुल खरीदारी में 20 फीसद लघु यूनिटों का ही उत्पाद क्रय करना है। अब तक लघु यूनिटों का डाटा बैंक नहीं होने से इस खरीदारी में परेशानी आ रही थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई) इस परेशानी को देखत हुए डाटा बैंक तैयार कर रहा है। इससे खरीदारी करने वालों को पता चल जाएगा कि कौन उत्पाद किस यूनिट के पास है।

सभी उद्योगों के लिए डाटा बैंक : डाटा बैंक में सभी तरह की सूक्ष्म और लघु इकाइयां अपना निबंधन करा सकती हैं। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक सहित अन्य सभी तरह की यूनिटें आएंगी। मकसद यह कि सभी यूनिटों को डाटा बैक का लाभ मिले।

पहले बनवाएँ उद्योग आधार : डाटा बैंक से जुड़ने के पहले उद्यामियों को उद्योग आधार बनवाना होगा। इसके लिए पैन कार्ड जरूरी है। यह कार्य भी इसी कार्यालय में किया जा रहा है। उद्योग आधार के बाद उद्यमी डाटा बैंक में अपनी यूनिटों का निबंधन करा सकते हैं। मकसद यह भी बिहार की 1.96 करोड़ यूनिटों में से अवांछित यूनिटों पर लगाम लगाया जा सके।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2016)

वित्तीय कंपनियों के लिए होगा अलग दिवाला कानून

कंपनियों के लिए सदियों पुराने दिवाला कानून में आमूलचूल बदलाव के बाद सरकार अब बैंकों और वित्तीय सस्थानों के लिए अलग दिवाला कानून लाने जा रही है। इसके तहत किसी ठप इकाई की परिसंपत्तियों पर पहला अधिकार जमाकर्ताओं का हो सकेगा।

वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इससे दबाव वाले बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों तथा एनबीएफसी को यथाशीघ्र बंद करने में मदद मिलेगी और साथ ही छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण भी किया जा सकेगा।

श्री सिन्हा ने कहा, 'हम वित्तीय कंपनियों में दिवाला के निपटान के लिए अतिरिक्त कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।' पिछले महीने संसद ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2015 को पारित किया था। इसका मकसद किसी 'मरणासन्न' कंपनी को बंद करने में लगने वाले समय को कम करना और डिफाल्टरों से बकाया वसूल करना है।

श्री सिन्हा ने कहा कि घाटे वाले कंपनियों को बंद करने की अक्षमता तथा बकाया वसूली न हो पाने की वजह से बैंकों का कोष फंसा रहता है जिससे ऋण और निवेश प्रभावित होता है।

श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार इस कानून को परिचालन में लाने के लिए ढांचा बना रही है। वित्त राज्यमंत्री ने कहा, वित्तीय कंपनियों के पास जमाकर्ताओं का पैसा भी होता है।'

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.6.2016)

राज्य के व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत

नइ सुविधा जल्द : • फॉर्म सी व एफ में व्यापारी कर सकेंगे संशोधन, करोड़ों की होगी बचत • फॉर्म में संशोधन करने की शुरू होगी कवायद।

राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वाणिज्य कर विभाग से निबंधित व्यापारी गलत भरे गए फॉर्म सी और एफ रद्दकर दोबारा भर सकेंगे। पूर्व में भी यदि किसी व्यापारी से गलती हुई है तो उसे भी वह सुधार कर सकते हैं। इस बारे में वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

क्या है फॉर्म सी व एफ : कोई भी निबंधित व्यापारी किसी दूसरे राज्य से सामान खरीद कर लाता है तो उसे फॉर्म सी की मदद से मात्र 2 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस राज्य में खरीदे गए सामान पर जो भी टैक्स निर्धारित है, वह उसे देना होगा।

यदि कोई कंपनी अपने उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य के गोदाम में भेजता है वह स्टॉक ट्रॉसफर कहा जाएगा। अगर वह कंपनी वाणिज्य कर विभाग से फॉर्म एफ लेता है तो उसे अपना सामान बिहार भेजने में कोई टैक्स नहीं लगेगा।

क्या थी परेशानी : बिहार में फॉर्म सी और एफ लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। यदि किसी व्यापारी ने फॉर्म भरने में एक बार भी गलती कर दी तो उसमें संशोधन नहीं होता था। ऐसी स्थिति में व्यापारियें को टैक्स की बचत नहीं होती थी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.6.2016)

रेस्टोरेंट व होटल को लेना होगा एनओसी

रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से एनओसी लेना होगा। प्रदूषण बोर्ड शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटलों को विज्ञापन के जरिए नोटिस दी है। एनओसी नहीं लेने पर प्रदूषण बोर्ड कार्रवाई करेगा।

राज्य में कितने छोटे-बेड़ रेस्टोरेंट और होटल हैं, इसकी जानकारी बोर्ड के पास नहीं हैं। पटना के कुछ बड़े होटल ही एनओसी लिए हुए हैं। अधिकतर बिना सहमति लिए व्यवसाय कर रहे हैं। वैसे सभी होटल और रेस्टोरेंट की गणना करने के लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मेवारी दी गई है। रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके पास एनओसी है या नहीं। खुद से पहल कर रेस्टोरेंट और होटल मालिक को एनओसी लेने के लिए बोर्ड ने अंतिम मौका दिया है। इसके बाद भी किसी ने नहीं लिया तो उन सभी पर कार्रवाई होगी।

10 वर्षों से नहीं दिया जल उपकर : शहर के कुछ बड़े रेस्टोरेंट होटल को छोड़ दें तो अधिकतर जल उपकर नहीं देते हैं। उद्योग की श्रेणी में आने के कारण जल उपकर इन्हें भी देना है। लंबे समय से जल उपकर की उगाही नहीं हो पायी है। लगभग 10 वर्षों से जल उपकर नहीं लिया गया है। जल उपकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो होटल और रेस्टोरेंट प्रतिदिन 10 किलो लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जल उपकर देना होगा।

प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चन्दशेखर ने बताया कि 10 किलो लीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाले सभी पुराने होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को एनओसी लेनी है। पानी के इस्तेमाल के दौरान मात्रा मापने तो मीटर भी लगवाना है। जाँच के दौरान ऐसा नहीं करने वाले पकड़े जाएंगे तो उनपर कार्रवाई होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.6.2016)

ट्रक 24 घंटे में नहीं पार कर पा रहे बिहार

बाहर से आने वाले ट्रकों को 24 घंटे के अंदर बिहार की सीमा छोड़ने का नया नियम ट्रक ऑपरेटरों के लिए परेशानी बन रहा है। ऐसा न करने पर ट्रक डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं। ऐसे ट्रक ऑपरेटरों को दोबारा बिहार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। बिहार की सीमा पार करने का समय पहले 72 घंटा तय था। ऐसे में मोहनियाँ चेकपोस्ट से दालकोला चेकपोस्ट (पूर्णिया) की लगभग 700 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करने में ट्रक ड्राइवरों को परेशानी हो रही है। नतीजतन प्रतिदिन लगभग 60 से 70 ट्रक डिफॉल्टर हो रहे हैं।

क्यों बना नियम : वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार टैक्स चोरी करने के लिए कई ट्रक ऑपरेटर आउट टू आउट परमिट बनाकर कुछ सामान बिहार में उतार लेते थे। इनको रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया है, ताकि ट्रक ऑपरेटरों को सामान उतारने का समय नहीं मिले।

फेडरेशन का विरोध : राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि मोहनियां से दालकोला की दूरी 24 घंटे में नहीं तय की जा सकती है। भागलपुर पुल जाम रहा तो और देर होगी। इस संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंप परेशानी बताई जाएगी।

क्या कहता है विभाग : मोहनियां से दालकोला के बीच की दूरी को देखते हुए विभाग की ओर से ट्रक ऑपरेटरों को सुझाव दिया गया है कि वे जलालपुर (गोपालगंज) से प्रवेश करें। यहाँ से दालकोला की दूरी कम है। वैसे

जाम या अन्य कारण की रिपोर्ट देने पर कार्रवाई नहीं होती है।

रूट बदला तो फंसेंगे ट्रांसपोर्टर : बिहार आने वाले सभी ट्रक ऑपरेटरों को इंट्री चेकपोस्ट से गुजरना अनिवार्य है। दूसरे रास्ते से प्रवेश करने वाले ट्रक ऑपरेटरों पर कार्रवाई होगी। अगर किसी कारण से ट्रक ऑपरेटर रूट बदलना चाहता है तो वह बिहार में घुसने से पहले ऑनलाइन परमिट (सुविधा) से रूट बदल सकता है। प्रवेश करने के बाद ऑनलाइन परमिट में कोई संशोधन नहीं हो सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.6.2016)

जीएसटी पर बनी बात, राज्यों का मिला साथ

जीएसटी पर बात बनती नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने जहाँ इसका ड्राफ्ट जारी किया है, वहीं राज्यों ने जीएसटी मॉडल के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तमिलनाडु छोड़ सभी राज्य इसके पक्ष में हैं।

जीएसटी पर केन्द्र सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। वर्षों से लंबित इस विधेयक पर संसद के मानसून सत्र में मुहर लगने की उम्मीद बढ़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़ एक तरह से सभी राज्यों ने जीएसटी के विचार का समर्थन किया है। जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद उन्होंने यह बात कही। स्पष्ट किया कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिए समय-जैसी कोई बात नहीं है। यह राज्य व केन्द्र स्तर पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को स्वयं में समाहित करेगा।

पहले सरकार ने एक अप्रैल, 2016 से देशव्यापी एकल कर व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कांग्रेस के विरोध से जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका है। बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा अरुणाचल प्रदेश व मेघालय के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री समेत 22 राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल हुए। इसके अलावा सात अन्य के वरिष्ठ अधिकारी व राजस्व सचिव हसमुख अधिया भी बैठक में मौजूद थे।

मॉनसून सत्र में पेश होगा बिल : जेटली ने कहा कि हम संसद के मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन को लाने की भरसक कोशिश करेंगे। उसके बाद सीजीएसटी व एसजीएसटी विधेयकों को पारित किया जायेगा विधेयक के संसद में पारित होने के बाद राज्यों को भी उस पर मुहर लगानी पड़ेगी। उसके बाद संसद को केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विधेयक व राज्यों को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विधेयकों को पारित करना होगा।

जीएसटी से करीब आयेंगे केन्द्र व राज्य : जीएसटी पर अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन व पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि केन्द्र और राज्यों के बीच कराधान ढांचे के दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर लगभग 'आम सहमति बन गयी है। बैठक में आम राय यह थी कि डेढ़ करोड़ रुपये से कम के कारोबार पर कर राज्यों द्वारा लगाया जाये, जबकि इससे अधिक के कारोबार पर कर केन्द्र लगाये। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को फायदा होगा और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश के उद्योग जगत पर देखने को मिलेगा। जीएसटी पर अगली बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की जा सके, इसे लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है।

मॉडल कानून : सभी ऑनलाइन खरीद पर जीएसटी

वित मंत्रियों की बैठक में मॉडल जीएसटी कानून को भी मंजूरी मिली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर कर इस पर सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव मांगे है। उम्मीद जतायी है कि जीएसटी अप्रैल, 2017 से लागू हो जायेगा। जीएसटी उत्पाद शुल्क, सेवा कर व सभी स्थानीय शुल्कों को समाहित करेगा।

• ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। जहाँ सबसे पहले वित्तीय लेन-देन होगा, कर वहीं लगेगा। • मॉडल कानून में 162 उपबंध व चार अनुसूची हैं। नियमों के उल्लंधन पर पाँच साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है **• नये शुल्क के लागू होने के लिए साल में न्यूनतम नौ लाख रुपये के सालाना कारोबार की सीमा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा चार लाख रुपये** • हर राज्य में एक अपीलीय प्राधिकरण होगा, जिसमें सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त व एसजीएसटी के आयुक्त शामिल होंगे। आइजीएसटी अंतर-राज्यीय वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री पर लागू होगा। प्रत्येक राज्य अपना एसजीएसटी कानून पारित करेंगे • कंपोजिशन लेवी एसे व्यक्तियों पर कम-से-कम एक प्रतिशत कर का प्रस्ताव करता है, जिनका एक राज्य में सालाना करोबार 50 लाख रुपये से कम नहीं है • उपभोक्ता कल्याण कोष के गठन का भी प्रावधान है, जिसका उपयोग केन्द्र या राज्यों द्वारा उपभोक्तांओं के कल्याण के लिए किया जायेगा • प्रत्येक पंजीकृत कर के दायरे में आनेवाला व्यक्ति खुद देय कर का आकलन करेगा और रिटर्न भरेगा। अगले निर्धारित तिथि तक रिटर्न नहीं भरने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5.000 रुपये है।

(साभार : प्रभात खबर, 15.6.2016)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में बढ़ेगी निवेश की सीमा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी है। जल्द ही केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इस कानून में संशोधन कर अधिसूचना जारी करेगा। एमएसएमई में निवेश की सीमा को निर्माण इकाई में लगी कुल पूँजी के आधार पर बाँटा गया है। नई परिभाषा में पूँजी की सीमा बढाने के साथ इकाइयों में नियोजित कामगारों की संख्या का भी समावेश किया जाएगा। इसके तहत 50 लाख रुपए तक की पूँजी वाली इकाइयाँ सूक्ष्म 10 करोड़ तक लघु और 30 करोड़ तक पूँजी वाली इकाई मध्यम श्रेणी में रखी जाएगी। सीमा बढ़ने से अधिक पूँजी वाली इकाइयों को भी एमएसएमई सेक्टर का लाभ मिलेगा। इस सेक्टर की परिभाषा और निवेश की सीमा का निर्धारण वर्ष 2006 में एमएसएमई कानून के तहत किया गया था। देश के औद्योगिक संगठन लगातार इस सीमा को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं।

क्षेत्र व निवेश की सीमा

विनिर्माण	वर्तमान	प्रस्तावित
सूक्ष्म	25 लाख	50 लाख
लघु	05 करोड़	10 करोड़
मध्यम	10 करोड़	30 करोड़
सेवा क्षेत्र	**वर्तमान**	**प्रस्तावित**
सूक्ष्म	10 लाख	20 लाख
लघु	02 करोड़	05 करोड़
मध्यम	05 करोड़	15 करोड़

अधिसूचना जल्द

"एमएसएमई कानून में संशोधन कर इस सेक्टर के निवेश की सीमा को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। संसद से भी यह पास हो गया है। जल्द ही मंत्रालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा।"

– कलराज मिश्र, केन्द्रीय मंत्री

10 साल पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को परिभाषित करने के साथ निवेश की सीमा तय की गई थी। उसके बाद महंगाई और बाजार की स्थिति बदली है। इसे ध्यान में रखने हुए एमएसएमई मंत्रालय ने इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया। एमएसएमई कानून में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.6.2016)

निर्माणाधीन घर तो कैसा सेवा कर

निर्माणाधीन संपत्ति में पैसा लगाने वालों की जेब को राहत मिल सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इसी हफ्ते आए फैसले के मुताबिक बिल्डर और खरीदार के बीच सौदे में सेवा की कीमत लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। हो सकता है कि इस फैसले के बाद ऐसे ग्राहकों को सेवा कर भरना ही नहीं पड़े।

यह फैसला दिल्ली में तो हर हाल में लागू होगा। इसका असर दूसरे राज्यों में होने वाले संपत्ति के सौदों पर भी पड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि 2012 के बाद संपत्ति खरीदने वालों से वसूला गया सेवा कर वापस किया जाए। हालांकि कर विभाग इसके खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन रियल्टी बाजार पर इस फैसले का व्यापक असर होगा। आइए देखें कि सेवा कर कैसे वसूला जाता है और इस अदालती फैसले का क्या असर होगा।

आज की तारीख में किसी भी खरीदार को निर्माणाधीन संपत्ति खरीदने पर 15 फीसदी सेवा कर देना पड़ता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि बिल्डर भी इमारत बनाकर ग्राहक को सेवा दे रहा है, इसलिए उस सेवा पर कर भरना ही पड़ेगा। हालांकि यह सेवा कर संपत्ति की पूरी कीमत पर नहीं वसूला जाता। एक तरीका तो यह है कि संपत्ति की कुल कीमत में से जमीन तथा

वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को कम कर दिया जाए और बची हुई रकम पर सेवा कर वसूला जाए। दूसरा तरीका यह है कि जमीन की कीमत को संपत्ति की कुल कीमत का 75 फीसदी मान लिया जाए और बाकी 25 फीसदी को निर्माण पर होने वाला खर्च माना जाए। सेवा कर इस बचे हुए 25 फीसदी हिस्से पर वसूला जाए।

मिसाल के तौर पर यदि कोई संपत्ति 1 करोड़ रुपये की है तो उस पर निर्माण का खर्च केवल 25 लाख रुपये माना जाएगा और उस पर 15 फीसदी की दर से 3.75 लाख रुपये बतौर सेवा कर लिए जाएंगे। बिल्डर ग्राहक से लेकर यह कर केन्द्र सरकार को देता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि फ्लैट खरीदने वालों की सेवा कर की देनदारी नहीं बनती क्योंकि निर्माण में लगी सेवा की कीमत तय करना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि जमीन की कीमत को अलग करने का कोई नियम या प्रणली नहीं हैं। इसीलिए सेवा कर नहीं वसूला जा सकता। उसने यह भी कहा कि संपत्ति के निर्माण से अचल संपत्ति तैयार हो रही है, इसलिए यह जमीन के हस्तांतरण जैसा ही है और भूमि राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार सेवा कर नहीं लगा सकती।

लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति के चुनाव पर कर लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऊपर की मंजिल पर या नीचे की मंजिल पर फ्लैट चुनने के एवज में कर वसूला जा सकता है क्योंकि इसमें बिल्डर एक तरह से मूल्यवर्द्धित सेवा दे रहा है। अदालती फैसले के मुताबिक 2012 के बाद फ्लैट खरीदने वालों को 6 फीसदी ब्याज के साथ रकम वापस की जाएगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि कर विभाग इसके खिलाफ अपील करेगा, लेकिन तब तक ग्राहक सेवा कर देने से इनकार कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर भी लोग इसकी मिसाल देकर सेवा कर देने से मना कर सकते हैं। लेकिन बिल्डरों की मुश्किल होगी। उन्हें सेवा कर जमा करना पड़ सकता है क्योंकि अगर इस फैसले को बड़ी अदालत में पलट दिया गया तो वक्त पर सेवा कर नहीं भरने का हवाला देते हुए उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में बिल्डर पर और भी बोझ पड़ जाएगा।

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मकान के निर्माण में किसी प्रकार की सेवा नहीं होती है, इसीलिए सेवा कर नहीं वसूला जा सकता। इससे ग्राहकों को फायदा होगा, लेकिन बिल्डरों पर बढेगा बोझ।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.6.2016)

चीनी निर्यात पर केन्द्र ने 20 फीसदी ड्यूटी लगाई

केन्द्र सरकार ने चीनी निर्यात पर 20 फीसदी कर (ड्यूटी) लगाने की घोषणा की है ताकि चीनी की घरेलू उपलब्धता अच्छी बनी रहे और बढ़ते दामों पर लगाम लग सके। यह ड्यूटी रॉ, व्हाइट/ रिफाइंड चीनी पर लागू होगी। सरकार ने दूसरी ओर, चीनी आयात पर लागू 40 फीसदी आयात कर को बनाए रखा है।

केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने हाल में टिव्ट कर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। कारोबारी ऐसे में चीनी का निर्यात बढ़ाकर मुनाफा ले सकते हैं। अत: निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार चीनी निर्यात पर 25 फीसदी शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू बाजार में पर्याप्त चीनी उफ्लब्ध होगी और भाव अंकुश में रहेंगे।

गेहूँ पर 25 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी जारी रहेगी : पासवान

केन्द्र सरकार ने गेहूँ के आयात पर लागू 25 फीसदी आयात शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विकास पासवान का कहना है कि इस ड्यूटी को जारी रखने से देश में विदेश से सस्ते गेहूँ के आयात को रोकने में मदद मिलेगी। पासवान ने अपने टिव्ट में कहा कि गेहूँ पर लागू 25 फीसदी आयात शुल्क जारी रहेगा। इस संबंध में जल्दी ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान में देश में फसल वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) के तहत 940.5 लाख टन गेहूँ पैदा होने की बात कही गई थी। यह उत्पादन पिछले साल 866.3 लाख टन था।

(साभार : दैनिक भास्कर, 18.6.2016)

टैक्स प्रणाली सरल बनाने पर जोर

मोदी का रैपिड मंत्र

R : Revenue
A : Accountability
P : Probity
I : Information
D : Digitisation

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टैक्स अफसरों कं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रैपिड़ मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि रैपिड यानी रेवेन्यू, अकाउंटबिलिटी, प्रॉबिटी, इन्फॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के 5 पिलर है। मोदी ने टैक्स अफसरों की कॉन्फ्रेंस 'राजस्व ज्ञान संगम' में कहा कि डिजिटाइजेशन को अपनाने और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर व प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के मन से उत्पीड़न का डर निकालें।

'मेंटर बनें टैक्स अफसर' : पीएम ने कहा कि टैक्स अफसरों का टैक्स पेयर्स के लिए व्यवहार सरल व सौम्य होना चाहिए। करदाताओं की संख्या मौजूदा 5.43 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने को जरूरत है। लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत नहीं पर उनकी सुविधा का ध्यान रखें। बार-बार चक्कर लगवाकर परेशान न करें। पीएम ने टैक्स ऑफिसर्स से कहा कि वे टेक्स पेयर्स के लिए मेंटर की भूमिका निभाएं। अफसर टैक्स चुकाने वालों और विभाग के बीच पुल का काम करें। राजस्व ज्ञान संगम में करीब 250 अधिकारी और दोनों बोर्ड के टॉप बॉस शामिल होंगे। इसमें टैक्सपेयर्स की सर्विसेज, फिस्कल कानूनों और सरकारी नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू कराने और ब्लैकमनी पर लगाम लगाने समेत कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।

टैक्सपेयर्स को लुभाने की तैयारी : • सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि देश में 5.43 करोड़ करदाता हैं • उन्होंने कहा कि इस आंकड़े को बढ़ाकर 10 करोड़ करना है • राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, हमें अफसरों से टैक्स लगाने और लेने की पॉलिसी पर कई सुझाव मिले है • अधिया ने बताया, पीएम मोदी ने टैक्स अफसरों से कहा कि 'राजस्व ज्ञान संगम' को 'कर्म संगम' के रूप में बदलना चाहिए • टैक्स फैसिलिटेशन एक्ट बनाने का भी सुझाव अफसरों ने दिया है • विभागों के बीच के संवाद को भी पेपरलेस बनाने पर जोर देना होगा • पहली बार सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) की एनुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ हो रही है।

(साभार : आई नेक्स्ट, 17.6.2016)

पाँच लाख रु. तक के गहने की खरीद पर टैक्स नहीं

अब पाँच लाख रुपए तक के गहनों की नकद खरीद पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने बजट में 2 लाख रुपए से अधिक के गहनों के नकद खरीद पर एक फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसे वापस ले लिया है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.6.2016)

E- Filing by taxpayers: ATM- based validation facility activated

The income tax department has launched an ATM- based validation system for filling e- ITRS by tax- payers as part of its measure to enhance the paperless regime of filing the annual IT returns.

" Now, Electronic Verification Code (EVC) can be generated by pre-validating your Automated Teller Machine (ATM) provided by the bank where a taxpayer has an account. While SBI has activated the facility beginning yesterday other banks will follow soon," a senior IT official Said.

Last month, the department had launched the bank account based validation facility in this regard for those who have not availed intement banking facility. The new facility is available on the official e-filing portal of the department- http://incometaxindia efiling.gov.in/ and will work by using the One Time Password (OTP) verification system as activated by the department last year by using the Aadhaar number. These measures are used to validate the e-ITR so that the taxpayer does not take the trouble of sending the paper-based ITR-V by post to the Bengaluru-based Central Processing Centre (CPC) for final resolution and processing.

The new ITRs have been notified recently. ITR-I can be filed by individuals having income from salaries, one house property and from other sources including interest. ITR - 2 is filed by Individuals and Hindu Undivided Families. **(Source : Time of India, 5.6.2016)**

अब बैंक मित्रों को ज्यादा काम देने की तैयारी

बैंक मित्रों के दिन अब बहुरने वाले हैं। सरकार ने बैंक मित्रों को प्रोत्साहन देने के लिए बैकों को तत्काल कदम उठाने को कहा है। बैंक मित्रों को अब लोन आवेदन स्वीकार करने और लोन वसूल करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। फिलहाल बैंक मित्र केवल जमा और धन निकासी की सुविधाएं ही उपलब्ध करा सकते है। इसके अलावा बैक मित्रों को अटल पेंशन योजना के सदस्य बनाने का काम भी सौंपा जा सकता है। ऐसा होने पर न सिर्फ दूरदराज के इलाकों में विविध प्रकार की बैकिंग और वित्तीय सेवाएँ पहुँचेगी बल्कि कमीशन बढ़ने से बैंक मित्रों को फायदा होगा।

आय बढ़ाने के लिए पहल : सूत्रों ने कहा कि फिलहाल बहुत से बैंक मित्र काम छोड़कर चले जाते हैं और अक्सर पारिश्रमिक समय पर न मिलने और पर्याप्त आय न होने की शिकायत करते हैं। इसे देखते हुए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने बैकों से कहा है कि वे बैंक मित्रों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए तत्काल कदम उठाएँ। साथ ही उन्हें अधिक कमीशन मिल सके, इसके लिए उन्हें लोन आवेदन स्वीकार करने और लोन वसूलने जैसे काम भी सौपे जाएँ। साथ ही बैंक मित्रों के पास जो धनराशि एकत्रित हो रही है, उसका बीमा कराया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस न हो। मंत्रालय की तरफ बैंकों को बैंक मित्रों का एक डाटाबेस भी तैयार करने को कहा गया है ताकि बैंक मित्र नेटवर्क की निगरानी ऑनलाइन सुनिश्चित की जा सके। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.6.2016)**

अडानी बिहार व पंजाब में बनाएगी साइलो

गेहूँ के भंडारण की खातिर दो साइलो के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने अडानी ग्रुप के साथ करार किया है। इन्हें बनाने में करीब 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से एक साइलो का निर्माण पंजाब के कोटकापुरा में होगा। जबकि दूसरा बिहार के कटिहार में बनेगा। दोनों की संयुक्त भंडारण क्षमता 75 हजार टन होगी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करार के तहत ये साइलो अगले दो साल में बनने हैं। इन्हें अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स बनाएगी। इनका स्वामित्व एफसीआई के पास होगा। कोटकापुरा में बनने वाले साइलो की क्षमता 25 हजार टन की होगी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत पड़ेगी। जबकि कटिहार में 50 हजार टन की क्षमता वाला साइलो बनेगा। इसमें लगभग 45 करोड़ रुपये लगेंगे।

क्या होता है साइलों : साइलो स्टील का बेलनाकार ढांचा होता है। इन बेलनाकार ढांचों को अक्सर जोड़ों या समूह में बनाया जाता है। प्रत्येक संरचना की क्षमता करीब 12,500 टन होती है। इनमें बिना जूट के बोरों के लंबी अवधि के लिए अनाज के भडारण किया जा सकता है। **(दैनिक जागरण, 10.6.2016)**

बैंकों के विलय को मिली मंजूरी

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से संबद्ध बैंकों और महिला बैंक के विलय को मंजूरी दी

भारत के बैंकिंग क्षेत्र के समेकन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से संबद्ध 5 बैंकों और भारतीय महिला बैंक के एसबीआई के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय कैबिनेट ने 6 बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) के साथ तुलनात्मक रूप से भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) के एसबीआई के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.6.2016)

बचत खाते से बकाया कर्ज राशि वसूल सकता है बैंक

बैंक के कई बार ताकीद कराने पर भी अगर देनदार बकाया कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो बैंक उसके बचत खाते में से वह राशि वसूल कर सकता है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस एम वेणुगोपाल ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड के पूर्व कर्मचारी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अनुरोध किया था कि एक सरकारी बैंक द्वारा उसके कृषि कर्ज को बचत खाते में आने वाली पेंशन से वसूलने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि कर्ज लेते समय उसकी ओर से दी गई सहमति के अनुसार बैंक द्वारा बचत खाते से रकम वसूलना बिल्कुल सही है।

याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने अक्टूबर, 2012 में साझा तौर पर 75 हजार रुपये का कृषि कर्ज लिया था। दो साल की 'हॉलीडे अवधि' के बाद यह संयुक्त ऋण दोनों को अप्रैल, 2015 तक दस किस्तों में वापस कर देना था। जस्टिस वेणुगोपाल ने आदेश में कहा कि बैंक ने कई रिमाइंडर भेजे। इसके बावजूद कर्ज की रकम वापस नहीं मिली। अब यह एक वसुल नहीं किया जा सकने वाला कर्ज (एनपीए) बन गया। ऋण समझौते के मुताबिक, बैंक इस तरह से कर्ज वसूलने के अन्य विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो गया। इसी के बाद बैंक ने अवकाश प्राप्त कर्मचारी के सेविंग अकाउंट से कर्ज की बकाया धनराशि की कटौती कर ली। बैंक के इस कदम के विरोध में इस पूर्व कर्मचारी ने अदालत का दखाजा खटखटाया था। जस्टिस वेगुगोपाल ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता और उसके बेटे की जिम्मेदारी है कि वे इस कर्ज की किस्तों का भुगतान करें।

(साभार : दैनिक जागरण, 19.6.2016)

इंटरनल फाइनेंसियल कंट्रोल पर ऑडिटर्स रिपोर्ट अनिवार्य

द इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने शहर के होटल में सेमिनार कराया। कार्यक्रम में पटना शाखा के अध्यक्ष सीए राजेश कुमार खेतान ने बताया कि इंटरनेशनल फाइनेंसियल कंट्रोल पर अलग से ऑडिटर्स को अब रिपोर्ट देनी होगी। इसके पहले 2014-15 के अंकेक्षण पर ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट नहीं देनी होती थी।

श्री खेतान ने बताया कि केन्द्र सरकार ने कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर्स 2016 (सीएआरओ) के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। नए सीएआरओ नियमों के तहत अब ऑडिटर्स को अंकेक्षण में कंपनी के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की बारीकी से जाँच कर कंपनी एक्ट के नियमों के अनुपालन के संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी है।

रिपोर्ट में यदि ऑडिटर्स द्वारा नए डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए तो पेनाल्टी लग सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए रवि साह और सीए अनामिका सिंह ने की। सेमिनार के प्रथम सत्र में सीए विनोद जैन ने सीएआरओ में आए बदलावों की जानकारी दी। मौके पर सीए मशेंद्र मशी, महताब आलम, प्रभु प्रसाद, अमित भट्टाचार्य सहित 250 सीए उपस्थित थे। **(प्रभात खबर, 5.6.2016)**

महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं को केन्द्र से नहीं मिला पैसा

सूबे की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं केन्द्र से पैसा नहीं मिलने के कारण अटकी पड़ी हैं। विशेष योजना (बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड) के तहत राज्य में संचरण-वितरण की परियोजनाएँ कई वर्षों पहले शुरू हुई पर पैसे के अभाव में यह अब तक पूरी नहीं हो सकी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में बीआजीएफ के तहत बिहार को 9210.75 करोड़ मंजूर किया गया। पैसा आवंटित होने के साथ ही राज्य में बिजली परियोजनाओं का खाका तैयार हुआ। कुल 887 योजनाएँ बनीं, जिसमें उत्तर बिहार में 337 तो दक्षिण बिहार में 500 योजनाएँ हैं। पावर सब-स्टेशन, तार बिछाने, जर्जर तार बदलने, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विकसित करने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने की योजना पर काम शुरू हुआ। वर्ष 2013-14, 2014-15 में बिहार को केन्द्र से 2417 करोड़ मिले। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक कुल 3905.15 करोड़ राशि दी गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा नहीं मिल सका है। अब भी इस योजना के तहत 5305.60 करोड़ मिलना बाकी है। योजनाओं का काम ससमय पूरा नहीं होने के कारण चौबीस घंटे निर्बाध बिजली देने की योजना पर ग्रहण लग सकता है।

यह होना है काम

उत्तर बिहार में : ट्रांसफॉर्मर : 5602 (2014-63 केवीए, 2170-100 केवीए और 1418-200 केवीए), **तार बिछेगा :** 8776.44 किलोमीटर (33 केवी में 845.45 व 11 केवी में 7931 किलोमीटर) और 23 पावर सब-स्टेशन बनना।

दक्षिण बिहार : फेज एक में 13 पावर सब-स्टेशन, 135 पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता विस्तार, 720 किलोमीटर 33 केवीए की नए लाईन, 1660 किलोमीटर 11 केवीए की लाइन, 300 पावर सब-स्टेशन, 1650 लो

टेंशन लाइन, 1129 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विस्तार। **फैज दो में** 17 पावर सब-स्टेशन, 611किलोमीटर 33 केवी, 7770 किलोमीटर 11 केवी व 5750 किसी लो टेंशन के तार बिछाने हैं। साथ ही पाँच हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, 60 अवर प्रमंडल में नियंत्रण कक्ष तो 23 पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विस्तार होनी है।

"बीआरजीएफ की राशि के लिए केन्द्र सरकार से हर फोरम पर मांग की गई है। खुद सीएम भी केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। पैसा नहीं मिलने से बिजली परियोजनाओं पर असर हो रहा है।"

– बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, बिहार

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.6.2016)

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

आवश्यक सूचना

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सघन विद्युतीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इससे संबंधित कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान उपभोक्ता / आमजन के द्वारा नहीं किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष / कम्पनी के द्वारा राशि की माँग की जाती है तो अविलम्ब निम्न **हेल्पलाईन नम्बर** पर सूचित करें:-

टॉल फ्री	– 1912
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	– 0612-2504999
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	– 0612-2504900

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.6.2016)

गोवा में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार सरकार ने रखी अपनी बात

राज्य ने केन्द्र से मांगी बिजली परियोजनाओं की मंजूरी

केन्द्र सरकार में अटकी बिहार की बिजली परियोजनाओं को लेकर ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार की आवाज मुखर की। 24 घंटे बिजली देने के लिए चल रही संचरण व वितरण की परियोजनाओं से लेकर सुस्त गति से चल रही उत्पादन इकाइयों को शीघ्र चालू करने की वकालत की। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बकाया राशि 5300 करोड़ जल्द देने का अनुरोध किया।

गोवा में चल रहे देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में मंत्री ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई उपलपब्धियों में लक्ष्य से अधिक ग्रामीण विद्युतीकरण का जिक्र किया। साथ ही केन्द्रीय कोटे से मिल रही कम बिजली का मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि आवंटित कोटा 3078 मेगावाट में से औसतन 2100 मेगावाट बिजली मिलती है। इस कमी को दूर करने के लिए बिहार को उन यूनिटों से बिजली दी जाए जो सस्ती हो। ईसीएल से कोयला मिलने के कारण कांटी व बरौनी से उत्पादित हो रही बिजली की लागत पाँच रुपए यूनिट है। सीसीएल से कोयला मिले तो यह एक रुपए सस्ती हो जाएगी। इस मसले पर मुखमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल 29 जनवरी को पत्र भी लिखा था।

सुप्रीमकोर्ट के आदेश के मद्देनजर बरौनी की 250 मेगावाट की दो इकाइयों का टेपरिंग कोल लिंकेज ईसीएल से रद्द होने के बाद बिहार की ओर से भुगतान की गई राशि 94 करोड़ वापस कर दिया जाए। कांटी-बरौनी में तेजी से काम हो, इसके लिए भेल को 128 करोड़ दिया जाए। मंत्री ने कहा कि कजरा व पीरपैंती बिजलीघर का समाधान हो। थर्मल पावर के बजाए कजरा में 250 मेगावाट सोलर बिजली लगाने का प्रस्ताव है, इसकी मंजूरी दी जाए। संचरण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और ट्रांसमिशन शुल्क की गणना पुराने नियमों के तहत हो। पनबिजली को बढ़ावा देने के लिए डागमारा की मंजूरी जल्द मिले। मंत्री के साथ ऊर्जा प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी सम्मेलन में थे।

मुद्दा उठाया : • कोल लिंकेज बदले तो कांटी और बरौनी की बिजली सस्ती होगी • केन्द्र से बीआरजीएफ का बकाया 5300 करोड़ देने को भी कहा • 3078 मेगावाट है केन्द्र से आवंटित कोटा • 2100 मेगावाट मिल रही है बिजली।

यह भी मांग की : • कहलगांव में 1500 मेगावाट में से 75 मेगावाट के बदले 750 मेगावट • नेपाल के अरुणा पनबिजली घर से भारत को मिलने वाली 750 मेगावाट में से 250 मेगावाट • बीआरजीएफ की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बकाया राशि 5305 करोड़ • बांका में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगापावर प्रांजेक्ट को स्थाई कोल ब्लॉक • नवीनगर में 660 मेगावाट के बदले 800 मेगावाट की तीन इकाई • कांटी में 110 मेगावाट की दो इकाई के बदले 800 मेगावाट की एक इकाई बने। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.6.2016)**

बिहार में बनेंगे तीन और सुपरग्रिड

बिहार में तीन और सुपरग्रिड का निर्माण होगा। 400 किलोवाट क्षमता के तीन ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण गया, सहरसा व सीतामढ़ी में होगा। इन ग्रिडों के बनने से बिहार की बिजली लेने की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कोसी का बिजली नेटवर्क भी बेहतर हो जाएगा। हाल के वर्षों में बिहार में बिजली खपत की क्षमता बढ़ी है। 3,500 मेगावाट से अधिक बिजली सप्लाई हो चुकी है, लेकिन केन्द्रीय सेक्टर के 400 किलोवाट के ग्रिड सब-स्टेशन बिजली देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। राज्य सरकार की अरसे से मांग थी कि केन्द्रीय सेक्टर के ग्रिड सब-स्टेशन को और मजबूत किया जाए। पावरग्रिड की कोलकाता में हुई बैठक में तय हुआ कि सहरसा, गया व सीतामढ़ी में 400/200 किलोवाट के ग्रिड सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। स्थाई समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसी माह पटना में ईस्टर्न रिजन पावर कमेटी (ईआरपीसी) का बैठक होनी है। विधिवत रूप से इस प्रस्ताव की मंजूरी इसी बैठक में मिल जाएगी।

जानकारों के अनुसार तीन ग्रिडों के निर्माण पर लगभग 1500 करोड़ खर्च होगा। अभी 10 ग्रिड सब स्टेशन हैं : राज्य में अभी पावरग्रिह के 10 ग्रिड सब-स्टेशन हैं। ये ग्रिड बांका, लखीसराय बिहारशरीफ, गया, पुसौली, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर पूर्णिया व किशनगंज में अवस्थित हैं। अगर तीन और ग्रिह बन गए तो पावरग्रिड के कुल 13 सब-स्टेशन हो जाएंगे, वहीं बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड बख्तियारपुर, जक्कनपुर व नौबतपुर में 400 किलोवाट के ग्रिड का निर्माण कराएगी। इसकी मंजूरी मिल गई है। इन ग्रिडों के निर्माण से बिहार में बिजली लेने की क्षमता 10 हजार मेगावाट को पार कर जाएगी।

"राज्य में बिजली खपत को देखते हुए पावरग्रिड ने 3 ग्रिड सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। पहले ग्रिड बनाने पर सहमति नहीं बन पाती थी। तीन ग्रिड बनने से बिजली के क्षेत्र में बिहार का नेशनल नेटवर्क और मजबूत होगा।"

– बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री, बिहार

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.6.2016)

ऐसे चेक कीजिए अपने घर का बिजली बिल

अगर आपने एक किलोवाट लोड लिया है और सिंगल फेज कनेक्शन है तो 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर प्रतिमाह 393 रुपये का बिल आएगा। इसमें 300 रुपये 100 यूनिट का चार्ज तथा 55 रुपये फिक्स चार्ज लगेगा जबकि 20 रूपये मीटर का किराया। बिजली खपत की राशि पर छह फीसद यानी 18 रुपये इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगेगी। 50 यूनिट बिजली खर्च करने पर 228 रुपया लगेगा।

सिंगल फेज में 200 यूनिट खर्च करने वालों को 779 रुपये का बिजली बिल आएगा। 300 यूनिट खपत करने पर 1241 रुपये का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली बिल खपत करने पर 1819 रुपये का बिल आता है, जबकि 500 यूनिट खर्च करने पर 2397 रुपये का बिजली बिल आता है। थ्री फ्रेज कनेक्शन है तो 200 से अधिक लगेंगे। सिंगल फेज में एक किलोवाट लोड पर 55 रुपये लगता है। प्रति किलोवाट 15 रुपये बढ़ता जाता है। थ्री फेज कनेक्शन पर 250 रुपये फिक्स चार्ज देना होता है।

एसी : आपके घर में विंडो एयरकंडीशन है, तो एक टन पर 1500 वाट, 1.5 टन पर दो हजार वाट तथा दो टन पर 2250 वाट बिजली खपत होती है। यानी एक टन का एसी एक घंटे तक चलाएंगे तो डेढ़ यूनिट बिजली की खपत होगी। पाँच घंटे चलने पर साढ़े सात यूनिट बिजली की खपत होगी।

एलईडी बल्ब : आपके घर में नौ वाट के 10 एलइडी बल्ब एक साथ एक घंटे तक जलेंगे तो एक यूनिट बिजली खपत होगी।

कलर टीवी : रंगीन टीवी 100 वाट का लोड लेता है। 10 घंटे तक टीवी के चलने पर एक यूनिट बिजली खर्च होगी।

फ्रिज : अधिकांश फ्रिज 200 वाट के होते हैं। यह 24 घंटे चलता है। यानी 24 घंटे फ्रिज चालू रहेगा तो दो यूनिट तक बिजली खपत होती है। फ्रीज खुलने पर 200 वाट तथा बंद की स्थिति में 60 वाट लोड लेता है।

शहरी घरेलू उपभोक्ता	
यूनिट	दर
1-100	3.00 रुपये
101- 200	3.65 रुपये
201- 300	4.35 रुपये
300 से अधिक	5.45 रुपये
कॉमर्शियल उपभोक्ता	
यूनिट	दर
1-100	5.15 रुपये
101- 200	5.45 रुपये
201 से अधिक	5.85 रुपये

कंप्यूटर : कंप्यूटर 100 वाट का होता है। अगर 10 घंटा प्रतिदिन इसका इस्तेमाल हो तो एक यूनिट बिजली खर्च होगी।

पंखा : पंखे 60 वाट के होते हैं। एक पंखा प्रतिदिन 16 घंटे तक चलेगा तो एक यूनिट बिजली की खपत होगी।

आयरन : एक आयरन एक घंटे तक चलेगा तो एक यूनिट बिजली खपत होगी। यह भी जान लें कि सामान्य 100 वाट का एक बल्ब दस घंटे तक जलाएं या नौ वाट के नौ एलइडी बल्ब एक घंटा तक जलाएँ। बराबर बिजली की खपत होगी।

• 200 रुपये अधिक लगेंगे थ्री फ्रेज कनेक्शन लेने पर • 100 यूनिट : 393 रुपये • 200 यूनिट : 779 रुपये • 300 यूनिट : 1241 रुपये • 400 यूनिट :1819 रुपये • 500 यूनिट : 2397 रुपये

कॉमर्शियल उपभोक्ता ऐसे लगाएँ अनुमान : एक किलोवाट लोड वाले सिंगल फेज शहरी कॉमर्शियल उपभोक्ता प्रतिमाह 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तो उसे प्रतिमाह 180 रुपये फिक्स चार्ज देना होगा। सात किलोवाट लोड तक सिंगल फेज कनेक्शन मिलता है। प्रति किलोवाट 180 रुपये फिक्स चार्ज बढ़ता जाता है। 100 यूनिट बिजली खपत करने पर 776 रुपये का बिजली बिल देना पड़ता है। इसमें 515 रुपये 100 यूनिट का चार्ज, 50 रुपये मीटर का किराया व छह फीसद यानी 31 रुपये इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी लगेगी।

सिंगल फेज में 200 यूनिट खर्च करने वालों को 1534 रुपये का बिजली बिल आएगा। 300 यूनिट खपत करने पर 2334 रुपये का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली बिल खपत करने पर 3134 रुपये आएगा जबकि 500 यूनिट खर्च करने पर 3934 रुपये का बिजली बिल आता है। सिंगल फेज में फिक्स चार्ज 180 रुपये प्रति किलोवाट लगता है।

250 यूनिट का बिल देना होगा 5 किलोवाट लोड पर : थ्री फेज शहरी कॉमर्शियल पर प्रति किलोवाट 50-50 यूनिट बिजली चार्ज देना होता है। उपभोग नहीं करने पर भी इसकी राशि बिजली बिल में आती है। पाँच किलोवाट से थ्री फेज कनेक्शन लिया जाता है। पाँच किलोवाट लोड वाले को बिना बिजली उपभोग किए 250 यूनिट का बिजली बिल देना है। इसके साथ फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट 200 रुपया देना पड़ता है। **(साभार : दैनिक जागरण,18.6.2016)**

कजरा में थर्मल पावर की जगह सोलर प्लांट पर विचार

कजरा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की संभावाना की तलाश शुरू हो गई है। इस संबंध में एनटीपीसी के अधिकारियों व विशेषज्ञों के एक दल ने स्थल का भी निरीक्षण किया। उसने वहाँ 250 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की संभावनाओं की भी तलाश की। इस समय वहां 1320 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्रोजेक्टर लगना है। इसके लिए एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के बीच 22 फरवरी, 2014 को ही एमओयू हो चुका है। हालांकि, इस साल 22 फरवरी में एमओयू की अवधि खत्म हो चुकी है और उसका विस्तार प्रस्तावित है।

पिछले देनों ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने यह मामला केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के समय उठाया और केन्द्र सरकार से हस्तझेप की भी मांग की। इसके पहले बिजलीघर में पर्यावरण मामले को लेकर भी पेच लगा, जब केन्द्र ने बिजलीघर को इको सेंसेटिव जोन में बता दिया। इसके बाद बिहार ने कड़ी आपत्ति की है।

बिहार की 74% हिस्सेदारी : बिहार के लखीसराय जिले में कजरा बिजलीघर की स्थापना होनी है। यहाँ 660 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट बनेगी। बिजलीघर निर्माण की कसरत वर्ष 2007-08 में ही शुरू हो गई थी। एसआईपीबी से इसे 27 फरवरी, 2009 को मंजूरी मिल गई। निर्माण की जिम्मेदारी एनटीपीसी को सौंपी गई। उसे इसमें 74 फीसदी हिस्सेदारी दी गई है। शेष बिहार की कंपनी की होगी। बिजलीघर के लिए करीब 1165 एकड़ जमीन की पहचान कर उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना पर 9200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 19.6.2016)**

जहाँ बिल की जितनी वसूली, वहाँ उतनी ही बिजली

बिजली कंपनी अपनी गलती की सजा उपभोक्ताओं को देने की तैयारी कर रही है। अब जिस इलाके से बिल की जितनी वसूली होगी, उसी हिसाब से फीडरों को बिजली मिलेगी। ऐसे में बिल का नियमित भुगतान करने वालों को भी कम बिजली मिलेगी। कंपनी कम वसूली के लिए लोगों को जिम्मेदार मान रही है, जबकि 45 फीसदी लोगों को बिजली बिल मिल भी नहीं पाता है।

बिजली कंपनी मुख्यालय के तमाम कोशिशों के बावजूद उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने की रफ्तार में तेजी नहीं आ रही है। अब भी 55 फीसदी उपभोक्ताओं को ही प्रतिमाह बिजली बिल मिल रहा है। इसका असर कंपनी के राजस्व पर पड़ रहा है। सरकारी अनुदान का आधा हिस्सा बिलिंग नहीं होने वाली यूनिटों पर खर्च हो जाता है।

अभी सप्लाई व राजस्व का हो रहा मिलान : अधिकारियों के मुताबिक सभी पावर सब स्टेशनों में मीटर लगाया गया है। किस फीडर में कितनी बिजली सप्लाई हो रही है और उस फीडर से जुड़े इलाकों से कितनी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, इसका मिलान हो रहा है। पावर सब स्टेशनों में लगे मीटर के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में फीडरों को चिह्नित करने और उस इलाके में जाँच अभियान चलाने का निर्देश इंजीनियरों को दिया गया है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो कम राजस्व प्राप्ति वाले फीडर में निश्चित समय के अंतराल पर बिजली सप्लाई होगी।

मीटर लगकर राजस्व वसूली जरूरी

"जब तक बिजली कंपनी 100 फीसदी लोगों के घरों में मीटर लगाकर 100 फीसदी राजस्व का वसूली नहीं करती, तब तक यह कैसे पता लगा सकती है कि किस फीडर से कम राजस्व आ रहा है। "

– संजय भरतिया, चेयरमैन, एनर्जी कमेटी, बीआईए

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.6.2016)

बिजली कंपनी ने आयोग के फैसले को दी चुनौती

बिजली कंपनी ने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपटेल) में अपील की है। इस पर चार अगस्त को सुनवाई होगी। आयोग के सचिव परमानंद सिंह ने कहा कि अभी तक याचिका की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलने के बाद जवाब तैयार कर आयोग की ओर से पक्ष रखा जाएगा। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशंन कंपनी ने 7-8 फीसदी बिजली टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया था। लेकिन, आयोग ने 21 मार्च को दिए गए अपने फैसले में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस कारण 2015-16 की टैरिफ दर 2016-17 में भी लागू हो गई। यदि एपटेल आयोग के फैसले को बदलता से तो नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी।

क्यों खारिज हुआ प्रस्ताव : आयोग ने कहा था कि 2015-16 में बिजली कंपनी के पास 1250 करोड़ राशि सरप्लस है। 2016-17 के लिए बिजली कंपनी द्वारा प्रस्ताव के अनुसार करीब 377 करोड़ रुपए का गैप आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में भी बिजली कंपनी के पास सरप्लस राशि हो रही है। साथ ही लॉस कम होने का फायदा भी बिजली कंपनी को मिलेगा। फाइनल ऑडिट नहीं आने के कारण बिजली टैरिफ घटाने का फैसला नहीं लिया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.6.2016)

कोयला हुआ महंगा, बिजली भी होगी महंगी

बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल को अतिरिक्त बोझ के लिए तैयार रहना होगा। आनेवाले महीनों में बिजली सात से 10 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी। कोयले की कीमत में बढोतरी से ताप बिजली घरों का खर्च बढ़ने वाला है। जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, बिहार में बिजली की आपूर्ति ताप बिजली घरों से ही होती है।

कोयला के कई ग्रेड होते हैं। ग्रेड छह से ग्रेड आठ के स्तर वाले कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। ताप बिजली घर में इसी स्तर के कोयले का मुख्यत: उपयोग होता है। कोयला महँगा होने से बिजली घरों का खर्च बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वह महंगी बिजली बेचेगा। चालू वित्तीय वर्ष में बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इसका हिसाब हो रहा है कि कोयला महंगा होने से कितना बोझ बढ़ेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार सात से 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ सकती है। बढ़ी हुई कीमत के लिए बिजली कंपनी को फ्यूल सरचार्ज लगाने का अधिकार है। इसके लिए बिजली कंपनियों को विद्युत विनियामक आयोग के पास जाना होगा। उसके बाद आयोग इसकी समीक्षा तथा जन सुनवाई करेगा। उसके बाद आयोग अपना निर्णय सुनायेगा। बिहार को सेंट्रल पुल से जो बिजली मिलती है वह एनटीपीसी की बाढ़, कहलगांव, फरक्का, तालचर इकाई आदि से आती है। बिहार का अपना कांटी और बरौनी भी ताप बिजली घर ही है।

7 से 10 पैसे प्रति यूनिट की हो सकती है बढ़ोतरी

बिजली की खपत	:	4000 मेगावाट
सेंट्रल पुल से कोटा	:	3003 मेगावाट
सेंट्रल पुल से आपूर्ति	:	औसतन 2200 से 2300 मेगावाट
बिहार का अपना उत्पादन	:	220 मेगावाट
1 मेगावाट	:	76 मिलियन यूनिट

"कोयले का कीमत बढ़ने से बिजली उत्पादन का लागत बढ़ेगा। बिजली खरीद पर अधिक भुगतान करना होगा, तो बिजली की कीमत बढ़ेगी। बिजली कितनी महंगी होगी इसका आकलन चल रहा है। संभावना है कि 7 से 10 पैसा प्रति यूनिट दाम बढ़ सकता है।" – **विजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री, बिहार

(साभार : प्रभात खबर, 2.6.2016)

बिना मीटर के बिजली बिल का शुल्क बढ़ेगा

मीटर के बिना बिजली बिल लेने वालों को कंपनी झटका देने की तैयारी में है। मिनिमम मंथली जार्ज (एमएमसी) समाप्त होने के बावजूद बिजली बिल ले रहे लाखों लोगों पर नकेल कसने को कंपनी शुल्क बढ़ाएगी। कोशिश है कि कोई भी उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली बिल न ले।

बीते दिनों कंपनी की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बताया गया कि दक्षिण बिहार में पटना को छोड़ बाकी 16 जिलों में मात्र 35 फीसदी उपभोक्ताओं को ही मीटर से बिजली बिल दिया जा रहा है। उत्तर बिहार में भी डेढ़ दर्जन जिलों में बमुश्किल एक तिहाई लोगों को ही मीटर से बिजली बिल दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने असंतोष प्रकट किया और कंपनी को आदेश दिया था कि वह एमएमसी की दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करे। एमएमसी का रेट इतना अधिक कर दिया जाए कि कोई भी उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली बिल न ले। मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इस बाबत एक प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा जा सकता है।

भारी नुकसान : सरकार से हर महीने 300 करोड़ अनुदान मिलने के बावजूद कंपनी औसतन 150 करोड़ के नुकसान में है। राज्य की पूरी बिजली में 16 फीसदी गाँव, 22 फीसदी शहर, नौ फीसदी व्यावसायिक तो 23 फीसदी उद्योग क्षेत्र को दी जाती है। गाँव में बिजली देने पर प्रति यूनिट खर्च लगभग सात रुपए है, तो वसूली मात्र दो रुपए। प्रति यूनिट पाँच रुपए नुकसान होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं सुधर रही है। मीटर की तुलना में लोगों को एमएससी से कम बिल मिलता है।

सख्ती : • मुख्य सचिव के निर्देश पर शुल्क बढ़ाने में जुटी कंपनी • मीटर से ही सभी को बिल देने को दिया जाएगा बढ़ावा • विद्युत विनियामक आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव • 150 करोड़ हर माह नुकसान में है बिजली कंपनी • 07 रुपए प्रति यूनिट खर्च है गाँव में बिजली देने पर • 02 रुपए यूनिट की वसूली हो पाती है गाँवों से।

यह है एमएमसी : मीटर काम नहीं करने पर एमएमसी के तहत एक साल की बिजली खपत को 12 से भाग दिया जाता है। जो यूनिट आयी, उसे एक महीने का बिजली बिल मान लिया जाता है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार एक किलोवाट के कनेक्शन पर कम से कम 144 यूनिट खपत मानकर बिल दिया जाता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.06.2016)

उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रहीं बिजली कंपनियाँ

बिजली कंपनियाँ यहाँ के विद्युत उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पायीं। खासकर बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की सुविधाओं के क्षेत्र में कंपनियों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार और इन कंपनियों के उच्च प्रबंधन भी मानते हैं कि उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बिजली आपूर्ति के सिस्टम को मजबूत करना होगा, जिससे शहरों में 24 घंटे और गाँवों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी दी जा सके। इसके अलावा बिलिंग प्रणाली, बिजली का सुगमतापूर्वक कनेक्शन लेने, तकनीकी और गैर तकनीकी शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी तरीके से निपटारा किए जाने में कंपनियों को एक मजबूत सिस्टम विकसित करना होगा, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी कम हो और उन्हें निर्बाध बिजली के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिल सके। तभी बिजली कंपनियाँ यहाँ के उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरी उतर सकती हैं।

बिजली आपूर्ति में रोड़े अटकाने वाले कारण : • जर्जर तारों को बदलने की रफ्तार धीमी है। अभी तक 55 हजार किलोमीटर तार ही बदले गए। 21 हजार किलोमीटर तार बदलना बाकी है। • शहरों में 24 घंटे और गाँवों के जले ट्रांसफॉर्मरों को 72 घंटे के भीतर बदले जाने की सभयावधि को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पालन नहीं कर पा रही है। शहरों के जले ट्रांसफॉर्मर 24 घंटे के बजाए 70 से 85 घंटे या उससे ज्यादा अवधि में बदले जा रहे हैं। इसी तरह गांवों के जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में कंपनियाँ फिसड्डी साबित हो रही हैं। • हाई टेंशन में होने वाले ब्रेकडाउन की अवधि को कम करने में कंपनियाँ काबू नहीं पा रही हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार किया जा सके। • शहरों को 24 घंटे और गाँवों को 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने को लेकर अभी तक सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। • उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान किए जाने के लिए जिलों में सुविधा केन्द्र नहीं खोला जा सका है।

इन उपायों से सुचारु की जा सकती बिजली आपूर्ति : • सूबे के प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए सुविधा केन्द्र खोला जाए। • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बचे हुए गाँवों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। • गाँवों में जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को तत्काल बदला जाए, जिससे उन गाँवों में बिजली आपूर्ति शुरू हो सके। • प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग से शहरी फीडर का निर्माण किया जाए। साथ ही गाँवों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए तेजी से ग्रामीण फीडर का निर्माण हो। • जर्जर तारों को तेजी से बदला जाए, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी आ सके। • हाई टेंशन प्रणाली में होने वाले ब्रेकडाउन की अवधि दो से तीन घंटे हो, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी कम हो। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 19.6.2016)**

बाल श्रम से मुक्त हर बच्चे को मिलेगा 25 हजार

मुख्यमंत्री नीतीश ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। पहला कि हम बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की मांगों (चार्टर्ड ऑफ डिमांड) को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो इसे जल्द लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी।

इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन काम एनजीओ करे, कौन काम सरकारी महकमा करे, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए क्या किया जा सकता है, यह

कमेटी देखेगी। दूसरी घोषणा ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद मुहैया कराने को लेकर थी। श्री कुमार ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। मगर यह राशि उनको बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगी।

मुख्यमंत्री अधिवेशन भवन (सिंचाई भवन) में श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने वेब आधारित बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) और मीडिया कैम्पेन को भी लाँच किया। श्री कुमार ने कहा कि अभी 1800 रुपए इन बच्चों को दिए जा रहे हैं। आगे इनको 3000 रुपए दिए जाने की बात है। इसके साथ ही जिलास्तर के एक कोष से 5000 रुपए और समाज कल्याण विभाग से राशि देने की व्यवस्था है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.6.2016)

बाल मजदूर

कहाँ-कहाँ पर हैं कार्यरत

• 15.4 विनिर्माण उद्योग (घरेलू क्षेत्र) कृषि • 10.8 विनिर्माण उद्योग, खेती-बाड़ी • 10.5 निर्माण • 9.8 निर्माण • 8.3 खनन • 8.1 थोक एवं खुदरा • 11.8% कुल मजदूरों की संख्या में 5 से 19 साल हैं इन मजदूरों की उम्र • 3.2% 15 से 17 साल के बीच • 1.3% 5 से 14 साल के बीच • कुल छह करोड़ अनुमानित संख्या है बाल मजदूरों की।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.6.2016)

पुनर्वास योजना में बंधुआ मजदूरों को मिलेंगे एक लाख रुपये : सचिव

श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने बंधुआ मजदूरी की प्रथा को कलंक करार देते हुए कहा कि इसे खत्म करना समाज की जिम्मेवारी है। उन्होंने सभी जिला श्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे बंधुआ मजदूरी की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई कर मजदूरों को मुक्त कराने के साथ-साथ दोषियों को कठोर दंड दिलाना सुनिश्चित करें। इससे पहले उन्होंने को होटल पाटलिपुत्र अशोक में 'बंधुआ मजदूरी' विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना के तहत मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को इस साल से एक लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2016)

छोटे कारोबारियों के पास नहीं जाएँगे लेबर इंस्पेक्टर

नए उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए उठाया कदम : केन्द्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना और आसान कर दिया है। इसके लिए अहम कदम उठाया गया है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि तीन साल तक कोई भी लेबर, ईएसआई या पीएफ इंस्पेक्टर सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) के परिसर में निरीक्षण के लिए नहीं जाएगा। इससे पहले स्टार्ट-अप्स के लिए ऐसे निर्देश जारी किए थे।

कई प्रावधानों से छूट : श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एमएसएमई को श्रम कानूनों के कई प्रावाधानों से छूट देने का निर्णय लिया है। इनमें अनुबंधित श्रमिक कानून, कर्मचारी राज्य बीमा कानून, ट्रेड, यूनियन कानून, कर्मचारी भविष्य निधि, औद्योगिक विवाद कानून आदि शामिल है। इसका मकसद नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में स्टार्ट-अप्स के लिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। तब से ही यह एमएसएमई संगठन यह मांग कर रहे थे कि इस तरह के कदम छोटे कारोबारियों के लिए भी उठाए जाएं। इस पर विचार-विमर्श के बाद एमएसएमई क्षेत्र को भी छूट देने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों, जैसे-ईएसआईसी, ईपीएफओ को अपने इस निर्णय से अवगत कराने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जो कारोबार शुरू हुए तीन साल पूरे नहीं हुए हैं, वहाँ निरीक्षण न हो। लेकिन तीन साल तक एमएसएमई को हर साल सेल्फ सर्टिफिकेट देकर यह बताना होगा कि वे सभी कानूनों का पालन कर हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था स्टार्ट अप्स के लिए भी की गई है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.6.2016)**

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना।

पत्रांक : 627 / आर.टी.ए. पटना, दिनांक : 6 जून, 2016

प्रेषक

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पटना प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।

विषय : पटना शहरी क्षेत्र में परिचालित 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों यथा नगर सेवा बसों/टेम्पू/ऑटो रिक्शा/स्कूल बसों के परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकार की दिनांक 12.5.2016 की बैठक में परिवहन विभाग के पत्रांक-43, दिनांक- 5.1.2016 एवं पत्रांक-1989, दिनांक-27.4.2016 के आलोक में पटना शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है (निर्णय की छायाप्रति संलग्न)। उक्त बैठक में परिवहन विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में 15 वर्ष से पुराने डीजल व्यावसायिक वाहनों के परमिट को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है। प्राधिकार के निर्णय के आलोक में 15 वर्ष पुराने वाहनों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अत: अनुरोध है कि प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में पटना शहरी क्षेत्र में परिचालित 15 वर्ष से पुराने डीजल व्यावसायिक वाहनों यथा नगर सेवा बसों / टेम्पू / ऑटो रिक्शा/ स्कूल बसों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही संलग्न सूची में अंकित शहरी क्षेत्र में परिचालित नगर सेवा से संबंधित बसों का परिचालन भी बन्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन
ह०/-
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पटना प्रमंडल, पटना।

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हैं, उनसे साग्रह निवेदन है कि सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार ने सेवा-कर की दर को निम्नानुसार परिवर्त्तित कर दिया है जो दिनांक 1 जून 2016 से प्रभावी है :-

सेवा-कर	**– 14%**
स्वच्छ भारत सेस	**– 0.5%**
कृषि कल्याण सेस	**– 0.5%**
कुल	**15%**

अत: सदस्यों से आग्रह है कि वे कृपया सेवा-कर की परिवर्त्तित दर के अनुसार ही अपने सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की कृपा करेंगे।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296